सुशील कुमार मोदी
द्वारा
राज्य सभा में दिया गया भाषण
व
समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों का संकलन

- ✦ OBC की सूची बनाने का राज्यों को अधिकार
- ✦ जातीय जनगणना
- ✦ आपातकाल के 45 वर्ष
- ✦ तेल का दाम : कड़वा सच
- ✦ 1918 का स्पेनिश फ्लू और गांधी
- ✦ बीमा क्षेत्र को बचाने में विदेशी निवेश कारगर

स्वाधीन भारत की लोकसभा एवं विधान सभाओं में दलित आरक्षण गांधी-अम्बेदकर के पूना समझौते की देन है। परन्तु क्या पूना समझौता के 88 साल बाद आज भी कोई दलित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आ सकता है? अगर आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो क्या दलित वर्ग अपने बल-बूते विधान मण्डलों में पहुँच सकता है? आखिर आरक्षण कब तक? इन सवालों का सही जवाब राजनीतिक यथार्थ का वस्तुपरक और पूर्वाग्रहमुक्त आकलन किये बिना नहीं दिया जा सकता।

सुशील कुमार मोदी

अनुक्रमणिका

राज्य सभा में भाषण

1. OBC की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दिये जाने सम्बंधी संविधान के 127 वें संशोधन पर राज्य सभा में 11 अगस्त 2021 को दिया गया भाषण 1–14

समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों का संकलन

गांधी–चिंतन

1. दलितों को हिंदू समाज से जोड़ने का महासेतु बना पूना समझौता : गांधी–अम्बेदकर सहमति से मिला आरक्षण 88 साल बाद भी प्रासंगिक 15–18
2. 1918 का स्पेनिश फ्लू 1 गांधी और निराला ने भी खोये थे अपने परिजन 19–21
3. गांधी जी को भी क्वारंटाइन में रहना पड़ा 22–24

आपातकाल के 45 वर्ष

1. आपातकाल के बाद जनता ने कराया वोट की ताकत का एहसास 26–28
2. संवैधानिक तानाशाही के बुलडोजर का डरावना सच था आपातकाल 29–32
3. प्रेस के लिए कोरोना काल था आपातकाल 33–36
4. पेरोल पर रिहाई, पिटाई फिर जेल 37–38
5. जब सगी बहन की शादी में शामिल होने से सरकार ने इन्कार कर दिया 39–40
6. EMERGENCY : COMMAND OF A DESPOT 41–44

जातीय जनगणना

1. राज्य जातीय जनगणना कराने को स्वतंत्र है 45–48

अर्थ–चिंतन

1. बीमा क्षेत्र को बचाने के लिए 74 प्रतिशत विदेशी निवेश कारगर होगा 49–51
2. तेल का दाम : कड़वा सच 52–55

OBC की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दिए जाने संबंधी संविधान के 127वें संशोधन विधेयक पर राज्य सभा में दिनांक 11 अगस्त, 2021 को दिया गया भाषण –

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उप–सभापति महोदय, मैं ''संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021'' के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी काँग्रेस के माननीय सदस्य, श्री सिंघवी साहब कह रहे थे – ''देर आए, दुरूस्त आए'', लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा – ''जल्दी आए, दुरूस्त आए''। मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि 5 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 102 वें संशोधन के कुछ प्रावधान जिसमें राज्यों को पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार था, को खारिज कर दिया था। मात्र आठ दिन के भीतर यानि, 13 मई, 2021 को सरकार ने Review Petition फाइल कर दिया। 1 जुलाई, 2021 को Supreme Court ने Review Petition रद्द कर दिया और Review Petition रद्द करने के मात्र 31 दिन के भीतर, 11 अगस्त, 2021 को यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

उप–सभापति महोदय, इससे ज्यादा जल्दी और क्या हो सकती है? सदन का सत्र प्रारम्भ होते ही, हम संविधान संशोधन विधेयक लेकर आ गए हैं। सरकार की मंशा क्या थी? इसको अंग्रेजी में कहते हैं – Legislative Intent. जैसा अभी सिंघवी साहब ने खुद बताया कि Select Committee की बैठक में, राज्य सभा में और लोक सभा में जब इस पर डिबेट हुई और यहाँ तक कि 102वें संविधान संशोधन की Validity पर सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हुई, तो Attorney General ने क्या बयान दिया? जब Review Petition फाइल किया, तो हमने क्या कहा? हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी की राज्यों का अधिकार यथावत बना रहेगा। यह संविधान संशोधन केवल और केवल Central List के मद्देनजर किया जा रहा है, इससे राज्यों के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी।

उप-सभापति महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के दो जजेज, के Minority Judgment को Quote करना चाहूँगा ।

Shri Sushil Kumar Modi (Contd.) : I quote, "It is thus clear as sunlight that parliamentary intention discernible from the Select Committee Report and the statement of Minister of Social Justice and Empowerment is that the intention of Parliament of bringing a Constitutional amendment was not to take away the power of the State to identify the backward classes in the State." यह जस्टिस भूषण और जस्टिस नजीर, इन दोनों का माइनॉरिटी जजमेन्ट है, जिन्होंने यह कहा है कि पार्लियामेंटरी डिबेट में, सेलेक्ट कमिटी में सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि राज्यों के अधिकार में कटौती कर दी जाए, राज्यों के अधिकार को छीन लिया जाए।

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विरोधाभास है। On the one hand, the Supreme Court says, "States have been deprived of the power to prepare the SEBCs list, एक ओर कहते हैं कि आपको एसईबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है, and on the other hand, the Supreme Court recognized the power of States to make reservation in favour of particular communities or castes, the quantum of reservation, the nature of benefits and the kind of reservation. एक ओर आप कह रहे हैं कि राज्यों को डिप्राइव किया जाता है, स्टेट लिस्ट नहीं बना सकते हैं और उसी जजमेन्ट में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आरक्षण का प्रतिशत कितना होगा, किस प्रकार का आरक्षण होगा, यह देने का अधिकार राज्यों को है। So, it is a very piquant situation. On the one hand, you deprive and, on the other hand, you say that it is the state which would decide the quantum of reservation for the OBC.

इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी थी, सेलेक्ट कमिटि, उसके अन्दर भी कहा गया "The Ministry clarified to the Committee that the proposed amendment does not interfere with the power of the State Government to identify the SEBCs and that the existing power of the Backward Classes Commission will continue to be there even after passage of the constitutional amendment.

सेलेक्ट कमिटी में, लोक सभा में, राज्य सभा में रिव्यू पिटीशन के दौरान हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की कि हमारा इन्टेन्ट राज्यों को वंचित करना नहीं है।

क्या कोई सरकार राज्यों को पिछड़ों वर्गों की पहचान करने के अधिकार से वंचित कर सकती है? मैं सदन को बताना चाहूँगा कि मंडल कमीशन के संदर्भ में इंदिरा साहनी का मामला 1992 में आया और तामिलनाडु में 1920 में बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन दिया गया, that started in the year 1920 and in many states prior to Independence. आजादी के पहले देश के आधे दर्जन राज्यों के पिछड़े वर्गों को सूची बनाने का और उन्हें आरक्षण देने का अधिकार था।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ, जहाँ 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर पिछड़ों एवं अतिपिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण 1993 में इंदिरा साहनी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू हुआ जबकि बिहार हो या यू०पी०, कर्नाटक हो या तामिलनाडु जैसे राज्यों में पिछड़ों को आरक्षण मण्डल कमीशन की रिर्पोट के काफी पहले से लागू था। सरकार की मंशा भी बड़ी साफ थी कि राज्यों का यह अधिकार हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया और इसलिए उस निर्णय को संशोधित करने के लिए संविधान का बिल लाये हैं।

महोदय, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक इस देश में राज किया । मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में बना and the Report of the Kaka Kalelkar Commission was submitted to the Parliament in the year 1955 आपने उसको लागू क्यों नहीं किया, आपने क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया? अगर आप यह कहते हैं कि काका कालेलकर कमीशन में त्रुटियां थीं तो आप कोई नया कमीशन

बनाते-आपने कोई नया कमीशन क्यों नहीं बनाया? जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी मोरारजी की सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। आपने कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, कोई नया कमीशन नहीं बनाया और जब बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को सबमिट कर दी, तो उस वक्त किसकी सरकार थी? 1980 से 1989 तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी काँग्रेस के प्रधानमंत्री थे। मैं सदन से तथा काँग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने काका कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): आपने बी.पी. मंडल की रिपोर्ट को 9 सालों तक लागू नहीं किया और बी.पी. सिंह की सरकार... (व्यवधान)... जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश के अन्दर लागू करने का काम किया। ...(व्यवधान)... महोदय, अगर इस देश में ...(व्यवधान)... अगर इस देश में पिछड़ों को अधिकार मिला है, तो जिन-जिन सरकारों में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उन्हीं सरकारों के द्वारा पिछड़ों को यह अधिकार मिला है। ... (व्यवधान)... महोदय, मैं कांग्रेस के लोगों से यह भी जानना चाहता हूँ कि Scheduled Tribes Commission को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आपने क्यों नहीं दिया?

(उप-सभापति, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, पीठासीन हुए)

महोदय, इस देश के अन्दर इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, जनजातियों की है। ...(व्यवधान)... महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी ...(व्यवधान)... महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 2003 में पहली बार अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया।

पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? महोदय, श्री बी.के. हांडिक- ये हमारी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं, ये आपकी पार्टी के मेम्बर थे। वे Committee on Welfare of OBCs के अध्यक्ष थे।

उन्होंने पहली रिपोर्ट 2012 में दी, दूसरी रिपोर्ट 2013 में दी और थर्ड रिपोर्ट भी दी। उन्होंने हर रिपोर्ट में दोहराया कि पिछले वर्गों के लिए अलग से आयोग बनना चाहिए, और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री बी.के. हांडिक की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? ...(व्यवधान)... आपने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? जब गरीब का बेटा नरेन्द्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ...(व्यवधान)... उप-सभापति महोदय, जो अधिकार शैडयुल्ड कास्ट्स कमीशन को है, जो अधिकार एस.टी. कमीशन को है, वे सारे अधिकार has all the powers fo Civil Court to summon and enforce the attendance, production of documents evidence on affidavit, यानी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को एस.सी. आयोग और एस.टी. आयोग के समकक्ष सारे अधिकार दिये और उसको संवैधानिक दर्जा दिया।

उप-सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि 'देर आये, दुरुस्त आये।' 1991 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वे किस पार्टी के थे? वे कांग्रेस के नेता थे। आज मैं सदन को बताना चाहूँगा कि नरसिम्हा रावजी ने Economically Weaker Sections को 10 परसेंट का आरक्षण देने का एलान किया था। 25 सितम्बर, 1991 को Official Memorandum stated 10 per cent for other Economically Weaker Sections not covered under any other scheme of reservation, यह आपने देने का काम किया था।

लेकिन महोदय, मैं खरगे साहब से जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में जब ऊँची जाति के गरीब लोगों के 10 परसेंट के आरक्षण को रद्द कर दिया, तब आपने क्यों नहीं संविधान संशोधन कर आरक्षण देने का काम किया? ...(व्यवधान)... उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वह इसलिए रद्द कर दिया कि जहाँ एक ओर श्री नरेन्द्र मोदी जी

ने संविधान में संशोधन करके EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, आपने एक official memorandum, 4 लाइन की एक चिट्ठी निकाल कर खानापूर्ति करने के लिए ऊँची जाति के गरीब लोगों के लिए, Economically Weaker Sections के लिए आरक्षण देने का एलान कर दिया और वह struck down हो गया। वह 1993 में struck down हुआ। 1993 के बाद आज कितने साल हो गये? आज तक आपने Economically Weaker Sections के लिए additional reservation देने का प्रावधान क्यों नहीं किया?

(व्यवधान)... महोदय, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने 103वाँ संविधान संशोधन 2019 में किया और आर्टिकल 15 तथा 16 में एक गया sub-section-6 जोड़ा गया, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि "Nothing in this Article shall prevent the States from making any special provision for the advancement of any Economically Weaker Sections of Citizens other than..." इसमें एक और प्रावधान किया गया कि "in admission to educational institutions" और संविधान की धारा-16 में एक नयी धारा-6 जोड़ी गयी। कांग्रेस के समान नरेन्द्र मोदी जी ने कोई Official Memorandum निकाल कर Executive Order से आरक्षण लागू नहीं किया, बल्कि संविधान में संशोधन कर EWS का आरक्षण लागू किया जिसे Congress का भी समर्थन था,

महोदय, चूँकि 50 प्रतिशत की सीमा है, इसलिए सरकार ने इसको संविधान की धारा 16(4) के अंतर्गत लागू नहीं किया।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): इसलिए हमने इसको धारा 15(4), 16(4) में लागू नहीं किया, बल्कि संविधान में एक नई धारा जोड़कर वीकर सेक्शन के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आरक्षण दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला आयेगा, सरकार की जीत होगी। ऊँची जाति के लोगों को आरक्षण देने का जो काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसका लाभ इस देश के ऊँची जाति के गरीब लोगों को मिल रहा है।

उप-सभापति महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि 'देर आये, दुरुस्त आये।' SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल कर दिया, dilute कर दिया। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने बिल लाकर उस पावर को restore किया और कहा कि हमारे दलित और आदिवासी भाईयों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हम बरदाशत नहीं करेंगे। सरकार ने एस.सी./एस.टी. एक्ट को केवल restore ही नहीं किया, बल्कि उसमें 11 और नई धाराएं जोड़ी दी गई। Tonsuring of head, moustache, अगर कोई किसी का बाल मुंडाकर, मूंछ मुंडाकर उसको बाजार में घुमाता है, तो उस पर भी एस.सी./एस.टी. एक्ट लागू होगा। अगर कोई जूते की माला पहनाकर घुमाता है, तो उस पर एस.सी./एस.टी. एक्ट लागू होगा। अगर मृत जानवर को ढ़ोने के लिए बाध्य किया जाता है या उसको गाड़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह उस पर भी लागू होगा। .... (व्यवधान)... अगर कोई नॉमिनेशन में बाधा पैदा करता है तो भी लागू होगा ।

उप-सभापति जी, श्री राजीव गांधी जी के समय में एस.सी./एस.टी. एक्ट दोनों सदनों से पारित अवश्य हुआ, लेकिन एस.सी./एस.टी. एक्ट को लागू करने का काम वी.पी. सिंह की सरकार ने किया, जिसे भाजपा का समर्थन हासिल था।

आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। Though it was passed during Shri Rajiv Gandhi's Government, but it was implemented when Shri V.P. Singh became the Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) : Tamtaji, please sit down. .... (Interruptions)....

श्री सुशील कुमार मोदी : उप-सभापति जी, जब श्री वी.पी.सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब वह लागू किया गया। उप-सभापति जी, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। एस.सी.,एस.टी. के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसके लिए हम तैयार नहीं है। ओ.बी.सी. में क्रीमी लेयर लागू होगा लेकिन एस.सी. और एस.टी. में हम क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं है और सरकार ने कहा कि इसे सात सदस्यीय बेंच में रेफर किया जाए।

कल लोक सभा में भूपेन्द्र जी बता रहे थे कि सेन्ट्रल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल्स में भी 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण लागू किया गया। ये नवोदय विद्यालय किसने खोले? राजीव गांधी जी ने खोले लेकिन आपने ओ.बी.सी. को आरक्षण क्यों नहीं दिया? यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसने सेन्ट्रल स्कुल्स, नवोदय विद्यालय और मिलिट्र स्कुल्स में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया और आज 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्रति वर्ष उसका लाभ उठा रहे हैं।

उप-सभापति महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि हर डिपार्टमेंट को युनिट मानना पड़ेगा, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि हर डिपार्टमेंट को यूनिट नहीं मानेंगे, पूरा विश्वविद्यालय एक युनिट होगा। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है जिसने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़ों के आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया ।

उप-सभापति महोदय, संसद के सेन्ट्रल हॉल में अम्बेडकर जी का चित्र किसके कार्यकाल में लगा? आपने क्यों नहीं लगाया? जब वी.पी.सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 12 अगस्त 1990 को संसद के सेन्ट्रल हॉल में अम्बेडकर जी का चित्र लगाया गया। अम्बेडकर जी को ''भारत रत्न'' कब मिला? आप इतने साल तक सरकार में थे, आपने ''भारत रत्न'' नहीं दिया। उनके मरने के 34 साल के बाद श्री वी.पी. सिंह की सरकार ने उनको ''भारत रत्न'' देने का काम किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) : Tamtaji, please sit down... (Interruptions) ... Sushil Kumar ji, Please continue.

...(Interruptions) .... माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। माननीय सुशील मोदी जी जो बोल रहे हैं, वही रिकॉर्ड पर जायेगा। माननीय मंत्री जी, आप बैठिए।

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) (क्रमागत) : माननीय मंत्री जी, कृपया आप बैठिए। .... (व्यवधान) .... कृपया आप बैठिए। ....(व्यवधान) .... सुशील जी जो बोल रहे हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड पर जाएगा । ...(व्यवधान) ... मंत्री जी, कृपया आप बैठिए।..... (व्यवधान) ....

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के promotion with consequential seniority को खारिज कर दिया तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, संविधान का 85वाँ अमेंडमेंट करके, reservation in promotion देने का काम किया । ....(व्यवधान) ... इनता ही नहीं, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने 81st amendment, 2000 के तहत जो unfilled vacancies थीं, ...(व्यवधान).. उनको carry over करने का प्रावधान किया और वह जो carry over होगा, वह 50 परसेंट की सीमा से बाहर होगा। यह संविधान संशोधन किसने किया? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। .....(व्यवधान) ....

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : एलओपी, माननीय खरगेजी, मैं आपको मौका दूँगा ....(व्यवधान) ... एलओपी, प्लीज। .... (व्यवधान) आप complete कीजिए। ... (व्यवधान)...इसके बाद मैं आपको मौका दूँगा। ... (व्यवधान)....सुशील जी, एक मिनट। ...एलओपी जी, कृपया आप बोलिए।... (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, मैं किसी को hurt नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वे इस सदन में जो गलत बात बता रहे हैं, उसको ... व्यवधान) ...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय एलओपी, उसको examine करा लेंगे।...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का जो statue सदन के बाहर है...(व्यवधान)...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): सुशील जी, कृपया आप continue करें।...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: वे संविधान की Drafting Committee के चेयरमैन थे...(व्यवधान)... आपने किया?...(व्यवधान)...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): खरगे जी, उसको हम examine करा लेंगे।...(व्यवधान)... Kharge ji, please sit down ...(Interruptions)... सुशील जी, कृपया आप बोलिए।...(व्यवधान)...

Nothing will go on record except what Sushil ji is saying ...(Interruptions)... सुशील जी जो बोल रहे हैं, केवल वही रिकॉर्ड पर जाएगा।...(व्यवधान)... Sushil, please continue. ...(Interruptions)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, नीट के माध्यम से medical education में UG और PG में एडमिशन मेंजो 15 परमेंट का ऑल इंडिया कोटा था, उसमें ओबीसी और EWS के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? यह काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया।...(व्यवधान)...

श्री प्रदीप टम्टा: सर...(व्यवधान)...

The Vice-Chairman (Shri Surendra Singh Nagar) : Pradeep Ji, please sit down. ...(Interruptions)... जब आपकी पार्टी का समय आएगा, तब आप बोलिएगा।...(व्यवधान)... आप continue कीजिए।...(व्यवधान)... टम्टा जी, कृपया आप बैठिए।...(व्यवधान)... जब आपकी पार्टी का टर्न आएगा, तब आपके मेंबर बोलेंगे।...(व्यवधान)... कृपया आप बैठिए।...(व्यवधान)... Please sit down. ...(Interruptions)... Nothing will go on record except what Sushil ji is saying. ...(Interruptions)...

श्री प्रदीप टम्टा:

The Vice-Chairman (Shri Surendra Singh Nagar): Nothing is going on record. ...(Interruptions)... Only what Sushil ji is saying will go on record. ...(Interruptions)... सुशील जी, कृपया आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): सर ...(व्यवधान).....

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): माननीय मंत्री जी, आप हैं, कृपया आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमिशन का गठन किसने किया? नरेन्द्र मोदी जी ने किया। इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी जी ने मंत्रिपरिषद् का गठन किया, उसमें 27 परसेंट से ज्यादा ओबीसी को मंत्री बनाने का काम किया। ...(व्यवधान)... यह काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। ...(व्यवधान)...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): कृपया आप बोलिए। सुशील जी, जो बोल रहे हैं, वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा जिससे स्पष्ट होता है कि आरक्षण के बारे में काँग्रेस की क्या राय है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): वे पत्र में लिखते हैं- "My dear Chief Minister, they deserve help, but I dislike any kind of reservation, more particularly in Services." उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरा बयान नहीं है, यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। ...(व्यवधान)... वे कहते हैं- "I react strongly against anything which leads to inefficiency." ...(Interruptions)...

The Vice-Chairman (Shri Surendra Singh Nagar): Please, Please. ...(Interruptions)...

Shri Ripun Bora: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

The Vice-Chairman (Shri Surendra Singh Nagar): Under which rule? ...(Interruptions)... Shri Ripun Bora: Under Rule 110. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) : Just one minute, please. .... (interruptions)....

Shri Ripun Bora: Sir, my point of order is under Rule 110- Scope of Debate. : "The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character." ...(Interruptions)...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): माननीय सदस्य, यह motion for consideration है, motion for passing नहीं है। ...(व्यवधान)... प्लीज, प्लीज। ...(व्यवधान)... This motion is not for passing, but for consideration.

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, मैं उस लाइन को फिर से पढ़ना चाहूँगा। "They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in Services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards. But if we go in for reservation on caste basis, we swamp the bright and able people and remain second rate or third rate." अंत में, वे कहते हैं- "It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on caste consideration." इसका मतलब है कि काँग्रेस का मानना है कि रिजर्वेशन देने से अयोग्य लोग आते हैं, inefficient लोग आते हैं। ...(व्यवधान)... क्या आप यह कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय, यह 27 जून, 1961 का लैटर है। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदय,

6 सितम्बर, 1990 को लोक सभा में Mandal Commission. पर बहस हुई । मैं इनके एक नेता का बयान पढ़ना चाहता हूँ- "To me, it is breaking up of my country." यानी, मंडल कमीशन लागू होने पर, "To me it is breaking up of my country." तो मेरा देश टूट जाएगा। ...(व्यवधान)... "Break up of my country may not be important to you. और, वे कहते हैं- "Who is trying to divide our country on caste and religion?" वे कहते हैं- "Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual." उपसभापति महोदय, राजीव गांधी जी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, यह उनका लोक सभा का भाषण है। ...(व्यवधान)... आप भी निकालकर देख सकते हैं।

...(व्यवधान)... उप-सभापति महोदय, बीजेपी में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' से प्रेरणा लेकर आते हैं। ...(व्यवधान)... आज आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले, का 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक बयान आया है। ...(व्यवधान) वे कहते हैं- "Reservation

should continue as long as there is inequality." यानी, आरक्षण तब तक लागू रहेगा, जब तक समाज के अंदर विषमता है। ...(व्यवधान)... दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा कि सामाजिक न्याय और social harmony, यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए committment है। ...(व्यवधान)... It is an article of faith. और, दत्तात्रेय जी ने कहा- "History of India is not different from the history of dalits. Without the history of dalits, India's history is incomplete".

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र कुमार नागर): प्लीज, प्लीज। ..(व्यवधान).. आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा।..(व्यवधान).. प्लीज, प्लीज। ..(व्यवधान)... आप चेयर को एड्रेस करिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उप-सभापति महोदय, ये वे लोग हैं, जिन्होंने सीताराम केसरी को बेइज्जत करने का काम किया। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमशः) सीताराम केसरी जी को हटाकर सोनिया जी खुद अध्यक्ष बन गई, उनको 24 अकबर रोड से बेइज्जत होकर भागने पर बाध्य होना पड़ा। ...(व्यवधान)...

उप-सभापति महोदय, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए काम कोई दूसरा नहीं करेगा, बल्कि केवल नरेन्द्र मोदी करेंगे। ...(व्यवधान)...

उप-सभापति (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): सुशील जी, अब आप समाप्त कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: सर, एक मिनट। ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय, ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिनकी माँ बगल के घर में बर्त्तन मांजने का काम करती थी। ...(व्यवधान)...

श्री प्रदीप टम्टा: सर ...(व्यवधान)...

उप-सभापति(श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): टम्टा जी, प्लीज आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया। ...(व्यवधान)... ये वे नरेन्द्र मोदी हैं, जिन्होंने लैम्प पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई की है, अगला चुनाव भी हम जीतेंगे और वर्ष 2024 में भी श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ...(व्यवधान)... इसलिए एससी, एसटी, ओसीबी के लिए ''सबका साथ, सबका विश्वास'' हम ही करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

(समाप्त)

..... आपने बी.पी. मंडल की रिपोर्ट को 9 सालों तक लागू नहीं किया और बी.पी. सिंह की सरकार..... जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश के अन्दर लागू करने का काम किया। ..... अगर इस देश में पिछड़ों को अधिकार मिला है, तो जिन-जिन सरकारों में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उन्हीं सरकारों के द्वारा पिछड़ों को यह अधिकार मिला है। ..... मैं कांग्रेस के लोगों से यह भी जानना चाहता हूँ कि Scheduled Tribes Commission को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आपने क्यों नहीं दिया?

सुशील कुमार मोदी

गांधी–चिंतन

दलितों को हिंदू समाज से जोड़ने का महासेतु बना पूना समझौता
गांधी-अम्बेदकर सहमति से मिला आरक्षण 88 साल बाद भी प्रासंगिक

फास्ट आन टू डेथ यानी मृत्यु तक उपवास' जैसे कड़े संकल्प का एलान महात्मा गांधी ने पहली बार 11 मार्च 1932 को भेदभाव पर आधारित पृथक चुनाव प्रणाली थोपने की मंशा के विरूद्ध किया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सचिव सैम्उल होर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि यदि सरकार अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का एलान करती है, तो उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका प्रतिरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

17 अगस्त 1932, को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मेकडोनेल्ड ने गांधी जी के विरोध के बावजूद कम्युनल आवार्ड की घोषणा कर दी जिसके अंतर्गत मुसलमानों, यूरोपियनों और सिक्खों के साथ-साथ हिंदू अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन (Separate Electorate) का अधिकार दिया गया था। अर्थात् मुसलमान, केवल मुसलमान, सिक्ख केवल सिक्ख उम्मीदवार के लिए वोट करेगा। उसी प्रकार अस्पृश्य भी हिंदू समाज से अलग केवल अस्पृश्यों के लिए वोट करेंगे।

गांधी व्यक्तिगत तौर पर दलितों के आरक्षण के पक्ष में थे परन्तु अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग कर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिये जाने के विरूद्ध थे। वे कहते थे कि पृथक निर्वाचन मंडल मिलने पर भी मुसलमान सदा मुसलमान ही बना रहेगा, परन्तु क्या आप चाहते है कि अस्पृश्य सदा सर्वदा अस्पृश्य ही बना रहे? पृथक निर्वाचन छुआछूत के इस सामाजिक कलंक को सदा-सदा के लिए स्थाई बना देगा। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जहर का ऐसा इंजेक्शन दिख पड़ता है जो हिन्दू धर्म को तो नष्ट करेगा ही साथ ही इससे अस्पृश्य वर्गों का रंचमात्र भी हित नहीं होगा।

दूसरी तरफ डा. अंबेदकर अंग्रेजों से मिले हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, जब तक हिन्दू समाज की ओर से दलितों को

पृथक निर्वाचन से बेहतर विकल्प नहीं दिया जा सके। अम्बेदकर कहते थे कि गांधी की जान बचाने के लिए वो किसी ऐसे प्रस्ताव पर सहमति नहीं देंगे, जो दलितों के हितों के विरूद्ध हो, भले ही इसके लिए उन्हें बगल के खम्भे से ही क्यों नहीं लटका दिया जाए। दलित नेताओं को लगता था कि गांधी को यदि आमरण अनशन करना ही था तो देश की आजादी के लिए करते परन्तु वे दलितों को अंग्रेजों द्वारा बड़ी मुश्किल से मिले प्रतिनिधित्व के विरोध में आमरण अनशन कर रहे है।

गांधी ने कम्युनल अवार्ड घोषित होने के अगले ही दिन 16 अगस्त, 1932 को यरवदा जेल से ही घोषणा कर दी थी कि 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन प्रारम्भ करेंगे, जिसमें वे केवल पानी और सोडा लेंगे। उनकी घोषणा से पूरे देश से खलबली मच गई। तब गांधी 63 वर्ष के थे और काफी कमजोर हो चुके थे। पं. मदन मोहन मालवीय एवं अन्य नेता गांधी की जान बचाने में लग गए।

जेल के बाहर राजगोपालाचारी, घनश्याम दास बिड़ला, डा. राजेन्द्र प्रसाद, पं. मदन मोहन मालवीय, डा. अम्बेदकर आदि नेताओं के बीच समझौते का दौर चलता रहा। जेल के भीतर वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गाँधी के साथ थे। समय बीत रहा था, परन्तु कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। सर तेज बहादुर सप्रू ने अम्बेदकर को प्रस्ताव दिया कि दो चरणों में चुनाव हो। प्राथमिक (Primary) चुनाव में अस्पृश्य अपने बीच से तीन सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे और द्वितीय चरण में संयुक्त मतदान जिसमें अस्पृश्य सहित सभी हिन्दू मिलकर उपरोक्त पैनल में से किसी एक का चुनाव करेंगे। अम्बेदकर एवं अन्य नेता इससे सहमत हो गये। परन्तु अम्बेदकर कम्युनल अवार्ड के तहत प्रान्तीय विधान सभाओं में प्राप्त 71 सीटों से ज्यादा सीटें प्राप्त करना चाहते थे। अंबेदकर का सुझाव था कि कम्युनल अवार्ड से प्राप्त 71 सीटों पर सर सप्रू के सुझाव के अनुसार दो चरणों में चुनाव हो तथा अतिरिक्त प्राप्त होने वाली सीटों पर संयुक्त मतदान द्वारा निर्वाचन हो।

अगले ही दिन सर सप्रू के प्रस्ताव को लेकर लोग जेल में गांधीजी से मिले। डा. अंबेदकर को पूना बुला लिया गया। प्रस्ताव को देखकर गांधी ने कहा दो अलग-अलग प्रकार के चुनाव क्यों? सभी सीटों पर पैनल पद्धति से ही चुनाव

क्यों नहीं हो सकता? डा. अंम्बेदकर को भी विश्वास नहीं था कि गांधी इतनी रियायत के लिए तैयार हो जाएँगे। गांधी ने अम्बेदकर से कहा 'आप जन्म से अस्पृश्य है और मैं गोद लिया हुआ अस्पृश्य हूँ।'

कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों को 71 सीटें प्रान्तीय विधान सभा में दी गई थी। अम्बेदकर 197 सीटें चाहते थे। अन्ततः 148 पर सहमति बनी। केन्द्रीय विधान सभा में अस्पृश्यों के लिए सीटों के बारे में अंग्रेजों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। अन्ततः सहमति बनी कि ब्रिटिश भारत की सामान्य सीटों में से हिंदू अपने हिस्से की 18 प्रतिशत सीट देगा, जो दलित के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु आरक्षण की समायवधि को लेकर पेंच फँस गया। अम्बेदकर चाहते थे कि पैनल पद्धति वाला प्राथमिक चुनाव 10 वर्षों के बाद स्वयमेव समाप्त हो जाएगा, परन्तु आरक्षण जारी रखने का निर्णय उसके और 15 साल बाद जनमत संग्रह द्वारा लिया जाए। कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन द्वारा आरक्षण का प्रावधान 20 वर्षों के लिए था। अब अम्बेदकर 25 वर्ष बाद जनमत संग्रह द्वारा निर्णय की बात कह रहे थे। गांधी जनमत संग्रह के पक्ष में थे परन्तु तत्काल या अधिक से अधिक 5 साल बाद कराने के पक्ष में थे। अम्बेदकर चाहते थे कि गांधी 10 वर्ष पर तैयार हो जाएं, परन्तु गांधी 5 साल पर अडिग थे और अंत में उन्होंने अम्बेदकर को कह दिया 'पाँच साल या मेरी जिन्दगी'।

उपवास के चौथे दिन तक गांधी कमजोर हो चुके थे। आरक्षण की कालावधि को लेकर मामला अटक गया। अन्त में सी. राजगोपालाचारी ने बीच का रास्ता निकाला कि आरक्षण की अवधि का विषय दोनों की आपसी सहमति से बाद में तय किया जाएगा।

अन्ततः उपवास के पाँचवे दिन दोनों पक्षों में सभी मुद्दों पर सहमति हो गयी। 'पूना समझौता' के नाम से तैयार इस ऐतिहासिक समझौते पर 24 सितम्बर, 1932 को कुल 41 लोगों ने हस्ताक्षर किये। हिन्दुओं की ओर से पं. मदन मोहन मालवीय तथा दलितों की ओर से डा. अम्बेदकर ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा हस्ताक्षर करने वालों में डा. राजेन्द्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, घनश्यामदास बिड़ला, तेजबहादुर सप्रू आदि प्रमुख थे। परन्तु गाँधी ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया। वे ब्रिटिश सरकार की पूना समझौते पर सहमति प्राप्त किए बिना उपवास तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अन्ततः 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार ने पूना समझौते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी।

इस तरह गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पृथक निर्वाचन के अधिकार द्वारा दलितों को हिन्दू समाज से पृथक करने की अंग्रेजों की साजिश को नाकाम कर दिया। फलस्वरूप 'दलित ही दलित को चुनेगा' के स्थान पर सम्पूर्ण हिन्दू समाज मिलकर सुरक्षित सीटों पर दलित का निर्वाचन करेगा, यह सुनिश्चित किया गया। प्रान्तीय विधान सभाओं में आरक्षित 78 सीटों की तुलना में गांधी ने दलितों के लिए 148 सीटें एवं केन्द्रीय असेम्बली में 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधन कराया। प्राइमरी चुनाव द्वारा 4 का पैनल 10 वर्षों तक एवं संयुक्त मतदान द्वारा आरक्षित सीटों पर चुनाव दोनों समुदायों की सहमति तक चलता रहेगा, ऐसा प्रावधान पूना समझौता में किया गया।

अन्ततः 26 सितंम्बर 1932 को पूना की यरवदा जेल में संध्या 5.15 बजे सरदार पटेल, सरोजनी नायडू एवं जेल के 200 अन्य कैदियों की उपस्थिति तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर की अमर रचना ''गीतांजलि'' के गायन के साथ गांधी ने नारंगी का रस पीकर अपना उपवास तोड़ा।

स्वाधीन भारत की लोकसभा एवं विधान सभाओं में दलित आरक्षण गांधी-अम्बेदकर के पूना समझौते की देन है। परन्तु क्या पूना समझौता के 88 साल बाद आज भी कोई दलित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आ सकता है? अगर आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो क्या दलित वर्ग अपने बल-बूते विधान मण्डलों में पहुँच सकता है? आखिर आरक्षण कब तक?

इन सवालों का सही जवाब राजनीतिक यथार्थ का वस्तुपरक और पूर्वाग्रहमुक्त आकलन किये बिना नहीं दिया जा सकता।

गांधी 5 वर्ष बाद और अम्बेदकर 25 वर्ष बाद जनमत संग्रह द्वारा आरक्षण पर निर्णय चाहते थे, क्योंकि इन महापुरूषों को लगता था कि स्वतंत्र-लोकतांत्रिक भारत का समाज इतनी तेजी से बदलेगा कि 25 साल में आरक्षण अप्रासंगिक हो जाएगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। आरक्षण बरकरार है और 12 साल बाद पूना समझौता की शताब्दी (2032) पर भी आरक्षण हटाने का फैसला कोई नहीं कर पाएगा।

◈◈◈

1918 का स्पेनिश फ्लू

गाँधी और निराला ने भी खोए थे अपने परिजन

29 मई, 1918 । लगभग 102 साल पहले प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेकर लौटे सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर पानी का जहाज बम्बई के समुद्र तट पर पहुँचा था। 10 जून 1918 को 10 सैनिक स्पेनिश फ्लू से ग्रसित पाए गए थे। जहाज सैनिकों के साथ–साथ HINI इन्फ्लूएंजा का वायरस भी लेकर आया था। बम्बई से ट्रेनों द्वारा घर लौटने वाले इन सैनिकों से यह फ्लू पूरे भारत में फैल गया।

गाँधी जी का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। गाँधी के बड़े पुत्र हरि लाल की पत्नी गुलाब और बेटी शांति राजकोट में फ्लू का शिकार हुईं । एक सप्ताह के अंतराल पर दोनों की मृत्यु हो गई। हरिलाल और कस्तूरबा राजकोट पहुँचे। जब गांधी को मृत्यु की जानकारी मिली तो वे साबरमती आश्रम में रो पड़े थे। गुलाब और शांति की मृत्यु के बाद हरिलाल के तीन बच्चों को आश्रम में लाकर कस्तूरबा ने रखा और उनकी देखभाल गांधी–कस्तूरबा करने लगे।

उन्हीं दिनों गाँधी खेड़ा में किसानों से फसल नुकसान के बावजूद सरकार द्वारा टैक्स लिए जाने एवं अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल का समाचार मिलने पर चम्पारण से अहमदाबाद पहुँच गए। पहले 21 दिन की मजदूरों की हड़ताल के दौरान गांधी को 3 दिन उपवास करना पड़ा। मजदूरों की हड़ताल समाप्त होते ही गाँधी खेड़ा में किसान सत्याग्रह में लग गए। उन्हीं दिनों प्रथम विश्वयुद्ध में अग्रेजों को सहयोग करने हेतु गाँधी गांव–गांव घूमकर फौज में रंगरूटों की भरती कराने लगे।

उस समय पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू से आक्रांत थी। इसे भारत में 'बाम्बे फीवर या बाम्बे इन्फ्लुएंजा' भी कहा जाता था। गाँधीजी का परिवार तो पहले ही इससे ग्रस्त हो चुका था। दो लोगों की मौत भी हो चुकी थी, मगर गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। रंगरूटों की भरती के समय बीमारी से उन का शरीर काफी क्षीण हो गया था। वे रूग्ण शैय्या पर चले गए। बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गयी।

गाँधी जी अपनी आत्म कथा में लिखते हैं – 'एक रात तो मैंने बिल्कुल आशा ही छोड़ दी थी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि अब मृत्यु समीप

ही है। यह समझ कर की मृत्यु समीप है, साथियों से गीता पाठ सुनता रहा।' 1 अक्टूबर को अंतिम समय जानकर कलकत्ता से बड़े बेटे हरिलाल और देवदास को मद्रास से बुला लिया।

अस्वस्थता के कारण महात्मा गांधी बम्बई में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में शामिल न हो सके थे। यह अधिवेशन मांटेगु–चेम्सफोर्ड रिर्पोट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। राजेन्द्र बाबू बम्बई से लौटते समय गाँधी को देखने अहमदाबाद गए और उनके साथ कई दिन व्यतीत किए। राजेन्द्र बाबू भी लिखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह और फौज में रंगरूटो की भर्ती में लगातार कठिन मेहनत के कारण गांधी जोरों से बीमार पड़ गए परंतु Spanish flu का जिक्र नहीं है। आश्चर्य है कि जिस महामारी से लाखों लोगों के मरने की बात कही जाती है, उसका कोई जिक्र गांधी और राजेन्द्र बाबू की आत्म कथा में नहीं है।

क्या गाँधी Spanish flu के कारण मृत्यु शय्या पर पहुंच गए थे ? कुछ इतिहासकार उनकी बीमारी का कारण चंदपी सिन बताते हैं तो उनके पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी गम्भीर रूप से बीमार अवश्य पड़े परन्तु स्पेनिश फ्लू के कारण नहीं। गांधी ने 'आत्म कथा' में अपनी बीमारी का विस्तार से जिक्र किया है परंतु कही भी स्पेशिन फ्लू के कारण अस्वस्थता का उल्लेख नहीं। दूसरी तरफ विदेशी इतिहासकार डेविड किलिंग्रे और हावर्ड फिलिप ने अपनी पुस्तक ''द स्पैनिश इंफ्लुएंजा पैनडेमिक आफ 1918–1920ः न्यू पर्सपेक्टिव'' में साफ लिखा कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इन्फ्लुएंजा फैलने से महात्मा गांधी, चार्ल्स ऐंड्रू और शंकरलाल पारिख संक्रमित हुए थे।

स्पेनिश फ्लू की महामारी ने केवल गांधी की बहू और पोती को अपना ग्रास नहीं बनाया था, बल्कि हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता, चाचा और पत्नी की मृत्यु भी इस महामारी से हुई थी। प्रसिद्ध समालोचक रामविलास शर्मा ने निराला के बारे में लिखा – ''प्रथम महायुद्ध के बाद इनफ्लूएंजा से घर के घर खाली हो गए। इन्फ्लुएंजा से इतने मनुष्य नष्ट हुए थे कि गंगा के किनारे दिन रात चिताओं की जोत कभी मंद न होती थी। अवधूत टीले पर बैठा युवक कवि घंटों तक बहती हुई लाशों का दृश्य देखा करता'' निराला ने अपने संस्मरण में लिखा कि इलाहाबाद में गंगा मृतकों की लाशों से पटी नजर आती थी। वर्ष 1918 की सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लू से इतनी ज्यादा मौतें हुईं कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं और शव

नदियों में बहाये जाने लगे। संक्रमण के समय की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करमे में स्वास्थ्य सेवाएँ नाकाम हो गई थी।

स्पेनिश फ्लू ने गांधी के अनन्य सहयोगी गफ्फार खान (जो बाद में फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने गए) के बेटे गनी को भी अपनी चपेट में ले लिया था। जब लगा कि गनी का अंतिम समय है, तब उसकी माँ मेहर कंध ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके बेटे को ठीक कर दें और आवश्यकता हो तो उनकी जान ले ले। कहते हैं, कुछ दिन बाद गनी तो स्वस्थ हो गए, लेकिन मेहर कंध चल बसीं।

फ्लू जैसी जानलेवा संक्रामक बीमारी के रुक–रुक कर तीन दौर आये। हर दौर पहले से ज्यादा भयावह था। पूरी दुनिया आक्रांत हो गयी। अनुमान है कि केवल भारत में 1.5 करोड़ लोग मरे। उस समय यह आँकड़ा देश की कुल आबादी का 6 प्रतिशत था।

स्पेनिश फ्लू के कारण प्रजनन दर 30 फीसद तक घट गई। 1911–1921 कें दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 फीसद थी। दो सौ साल के ब्रिटिश राज में यह वृद्धि दर न्यूनतम रही।

एक सदी पहले भी सड़कों पर मौत का सन्नाटा पसर गया था। लोग घरों में बंद हो गए थे। यूरोप की सड़कों पर ट्राम में लोग मास्क लगाकर निकलते थे। फ्लू का कोई इलाज या टीका नहीं था।

Spanish flu और वर्तमान कोरोना महामारी में कुछ समानताएँ हैं, तो कुछ फर्क भी। बीसवीं सदी के फ्लू से भारत में यूरोप की तुलना में काफी ज्यादा लोग मरे थे, जबकि कोरोना में भारत की तुलना में अमेरिका–यूरोप में कई हजार लोग ज्यादा मर गए हैं। फ्लू का शिकार होने वाले अधिकतर लोग 20 से 40 वर्ष के आयुवर्ग के थे, लेकिन कोरोना से मरने वालों में अधिकतर बुजुर्ग हैं। फ्लू के समय ग्रामीण आबादी ने बड़े शहरों का रुख किया था, जबकि कोरोना काल में बड़ी संख्या के लोग महानगरों से गांव की ओर लौट रहे हैं।

मनुष्य ने प्लेग, हैजा, इबोला, सार्स, स्पेनिश फ्लू एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर विजय हासिल कर लिया, अब देखना है कि कोरोना वायरस पर मनुष्य कब विजय हासिल करेगा ?

(दैनिक जागरण में 22 मई, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

गांधी जी को भी क्वारंटाइन में रहना पड़ा

19वीं सदी में प्लेग की महामारी के समय जोहान्सबर्ग में हिंदुस्तानियों का सहारा बने थे बापू

बात 1897 की है, जब गांधी जी को भी सपरिवार पांच दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ा था। वे दूसरी बार स्टीमर से 18 दिन की तूफानी यात्रा कर जब दक्षिण अफ्रिका के डरबन बंदरगाह पर पंहुचे तो पूरे जहाज को सैकड़ों यात्रियों के साथ पाँच दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया । पूरे दक्षिण अफ्रिका में प्लेग फैला हुआ था।

बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला झंडा फहराना होता था। डॉक्टरी जाँच के बाद डॉक्टर से मुक्ति देने पर पीला झंडा उतरता और फिर यात्रियों के रिश्तेदारों आदि को स्टीमर पर आने की इजाजत मिलती।

डॉक्टरों की धारणा थी कि प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए बम्बई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधि पूरा होने तक स्टीमर को क्वारंटाइन में रखने का आदेश दिया गया।

आज 21 वीं सदी के इस दशक में जब कोरोना संक्रमण बढ़ा और एहतियाती तौर पर लोगों को अलग-थलग रखना शुरू किया गया, तब इसके लिए अंग्रेजों के ''क्वारंटाइन'' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। हिंदी के अखबार भी यही शब्द लिखने लगे।

ऐसे में यह जानना सुखद है कि हिंदी-प्रेमी गाँधी जी ने ''क्वारंटाइन'' के लिए 'सूतक' शब्द का प्रयोग किया था।

जोहान्सबर्ग की घटना का उल्लेख अपनी आत्म-कथा में करते हुए वे लिखते हैं कि प्लेग के चलते उन्हें 'सूतक' में रहना पड़ा।

वैष्णव संस्कार वाले गांधी जानते थे कि हमारे यहां परिवार में प्रसव या मृत्यु के बाद 'सूतक' लगता है। प्रसूता के लिए यह अवधि पांच सप्ताह और मुखाग्नि

देने वाले के लिए दस दिन की होती है। संक्रमण से मां और शिशु को बचाने के लिए सवा महीने तक एक कमरे में रखने और किसी बाहरी व्यक्ति से न मिलने देने की देने की व्यवस्था को सूतक कहा जाता है। आज ऐसे एंकातवास के लिए क्वारंटाइन शब्द चल पड़ा है।

गाँधी जी जब दक्षिण अफ्रिका के जोहान्सबर्ग में थे, तब वहां उस समय का दु:साध्य रोग प्लेग महामारी के रूप में फैला था। गाँधी जी लिखते हैं – यह फेफड़ों की महामारी थी। गांठ वाली महामारी की तुलना में यह अधिक भयंकर मानी जाती थी। यह महामारी प्राण घातक थी।

जोहान्सबर्ग की हिन्दुस्तानी आबादी 'कुली लोकेशन' के रूप में जानी जाती थी। इनके पास सोने की एक खान में हब्शी काम करते थे। हब्शी लोगों में प्लेग संक्रमण के कारण वहाँ काम करने वाले 23 हिंदुस्तानी भी संक्रमित हो गए। जब वे अपने घरों में कुली लोकेशन पहुँचे, तब महामारी इनकी बस्ती में भी फैल गई।

गाँधी जी के एक सहयोगी ने खाली पड़े सरकारी मकान और एक गोदाम के ताले तोड़ कर उस परिसर को अस्पताल में बदल दिया। वे निडर हो कर मरीजों की सेवा में लग गए। वहां के ब्रिटिश शासन की म्युनिसिपैलिटी को स्थानीय जनजाति के हब्शी और प्रवासी हिंदुस्तानियों की नहीं केवल अंग्रेज लोगों के आरोग्य की चिन्ता थी। भारतीयों को गांधी जी के भरोसे छोड़ दिया गया था। म्युनिसिपैलिटी ने जोहान्सबर्ग से सात मील दूर संक्रामक रोगों के अस्पताल के बाहर तंबू लगाकर बीमारों को रखा था। गांधी के देखते-देखते सेवा करने वाली नर्सों के साथ-साथ बीसियों प्लेग संक्रमित लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तानियों के कुली लोकेशन के बाहर पहरा बैठा दिया गया। कोई न आ सकता था और न ही कोई जा सकता था।

म्युनिसिपैलिटी की योजना थी कि लोकेशन के लोगों को तीन सप्ताह के लिए 13 मील दूर खुले मैदान में तंबू गाड़ कर रखा जाय और लोकेशन को जला दिया जाय। तंबू की नई बस्ती बसाने और वहां रशद आदि सामान पहुँचाने में कुछ दिन लगते इसलिए पहरा बैठा दिया गया था।

उस जमाने में गरीब-मजदूर वर्ग के लोग अपने पैसे जमीन में गाड़ कर रखते

थे। उन्हें बैंक क्या होता है, यह पता भी नहीं था। लोग भी सिक्के लेकर गाँधी जी के पास पहुँचने लगे। गाँधी जी ने बैंक से बात की । बैंककर्मी सिक्कों को छूने के लिए तैयार नहीं थे। अन्त में जन्तुनाशक पानी से धोकर पैसे बैंक में भेजे गए। 60 हजार पाउंड बैंक में जमा किए गए।

स्पेशल ट्रेन से लोकेशन में रहने वालों को जोहान्सबर्ग से 13 मील दूर पुलिस छावनी सरीखे तंबुओं से बसाये गांव (Tent Village) में ले जाया गया। म्युनिसिपैलिटी ने अपने खर्च से खाने-पीने की व्यवस्था की थी।

गांधी जी प्रतिदिन साईकिल से हालचाल लेने वहां जाते थे। तीन सप्ताह खुली हवा में रहने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।

इधर लोकेशन खाली करने के अगले दिन पूरे लोकेशन की होली जला दी गई। म्युनिसिपैलिटी ने इन्हीं दिनों किसी निमित्त से अपने मार्केट की सारी इमारती लकड़ियां भी जला डाली। लोकेशन के जलने पर मरे हुए चूहे मिले थे। इस कर्रवाई का यह परिणाम हुआ की प्लेग के विषाणु जल कर नष्ट हो गये और महामारी आगे बिल्कुल न बढ़ सकी।

आज जिन देशों में कोरोना महामारी के रूप में सामुदायिक संक्रमण का रूप ले चुका है वहां शव दफनाने की बाजय उसका दहन बेहतर समझा जा रहा है। इस समय 150 से ज्यादा देश कोरोना के रूप में वैसी ही महामारी का सामना कर रहे हैं जैसी सवा सौ साल पहले दुनिया झेल चुकी है।

19 वीं सदी में प्लेग महामारी के समय पराधीन भारतीयों को गांधी का सहारा था। आज शक्तिशाली भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का संबल बना हुआ है। समय पर लाकडाउन गरीबों का सबसे ज्यादा ध्यान, जांच, क्वारंटाइन और 130 करोड़ देशवासियों के लिए दवा का इंतजाम करने के साथ भारत जरूरतमंद देशों को भी दवाएँ भेज रहा है। हम सामूहिक संकल्प के बल पर अगली सदी के लिए मिसाल कायम कर रहे है। कोरोना विजय का नायक भारत ही होगा।

◈◈◈

आपातकाल के 45 वर्ष

सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में हैं।

– जय प्रकाश नारायण

आपातकाल के बाद जनता ने कराया वोट की ताकत का एहसास

समाजवादी नेता राज नारायण को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में यूपी की रायबरेली सीट से 1 लाख 10 हजार वोटों से हराया था। उसी राज नारायण ने 1977 में अजेय समझी जाने वाली दुनियां की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमती इंदिरा गॉधी को 55 हजार वोटों से हरा दिया। बगल की अमेठी सीट से उनके पुत्र संजय गांधी जो सत्ता की संविधानेत्तर शक्तिपीठ माने जाते थे को जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता रवीन्द्र सिंह ने 75 हजार वोटों से हरा दिया। बड़ौदा डाईनामाईट केस में फँसा कर जेल में डाले गए जार्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फपुर सीट से तीन लाख मतों से चुनाव जीत गए। लोगों को इन समाचारों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इंदिरा गांधी, संजय गांधी भी चुनाव हार सकते है? हर जुबान पर एक ही प्रश्न था।

पूरे उत्तर भारत में जनता ने एकमुश्त जनता पार्टी को वोट दिया। काँग्रेस केवल 1 सीट राजस्थान और 1 सीट मध्य प्रदेश में जीत पायी थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियणा, दिल्ली, हिमाचल में काँग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट नहीं जीत पाई। दक्षिण भारत, जहां इमरजेंसी की ज्यादतियाँ कम थीं, वहां काँग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। लोकनायक जेपी के मार्गदर्शन में बनी जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 1967 में 9 से ज्यादा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, परन्तु पहली बार केन्द्र में मोरार जी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इलाहाबाइ हाई कोर्ट द्वारा श्रीमती गॉधी के चुनाव को रदद् करने के फैसले का आदर करते हुए त्यागपत्र देने के बजाय श्रीमती गॉधी ने सत्ता में बने रहने के लिए बिना कैबिनेट की स्वीकृति लिए 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था। एक व्यक्ति के संकट को पूरे देश के संकट में बदल दिया गया।

इमरजेंसी में एक लाख दस हजार से ज्यादा राजनैतिक कार्यकताओं को मीसा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफत्ार कर जेलों में बंद कर दिया गया। छूटने का कोई ठिकाना नहीं था। कोर्ट जाने पर रोक थी। दलों के कार्यालयों पर ताला जड़ा था। धरना, प्रदर्शन, बंद पर पाबंदी लगी थी। सारी राजनैतिक गतिविधियां ठप्प पड़ी थी। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश में पहली बार सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। अखबारों में केवल सरकारी समाचार छपते थे। पूरे देश में मरघट की शांति थी। पत्रकार, न्यायधीश नौकरशाह सबों ने घुटने टेक दिए। इंदिरा जी के 20 सूत्री और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का बोल–बाला था। आपातकाल के समर्थक नारे लगाते थे –"इंदिरा तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय"।

इंदिरा गांधी विदेशी मीडिया में अपनी लोकतंत्र विरोधी, तानाशाह वाली छवि से परेशान थी। चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाब भी बन रहा था। यद्यपि इंदिरा जी ने 42वें संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि विपक्ष के अधिकतर शीर्ष नेताओं के जेलों में बंद रहते यदि इस समय चुनाव करा दिया जाए तो विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और आसानी से जीत हासिल हो जाएगी।

बीमारी के कारण जेपी पहले ही रिहा कर दिए गए थे। जेपी ने इंदिरा से मुकाबले के लिए सम्पूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर लड़ने की अपील की। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने विलय कर जनता पार्टी का गठन कर लिया। घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। 3 फरवरी, 1977 को बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, नन्दिनी सत्पथी और दर्जनों नेताओं ने काँग्रेस से इस्तीफा देकर "कॉग्रेस फार डेमोक्रेसी" का गठन कर लिया। पं. नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी जेपी के समर्थन में आ गईं। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी के साथ मुसलमानों की बड़ी जमात जनता पार्टी से जुड गई।

हवा बदल रही थी। विपक्ष के नेताओं की सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने लगी। जेल में बंद नेताओं के प्रति जनता में सहानुभूति थी। दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जेपी और बाबू जगजीवन राम की रैली में भीड़ को आने से रोकने के लिए उस समय की बाक्स आफिस पर हिट फिल्म 'बॉबी' के दूरदर्शन पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। बसों का

आवागमन रोक दिया गया। परन्तु जनता ने 'बॉबी' को धता बता दिया। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जे.पी. का भाषण सुना।

धीरे–धीरे वह संसदीय चुनाव जेपी बनाम इंदिरा की लड़ाई में परिवर्तित होने लगा। जेपी ने इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम तानाशही की लड़ाई बताया। पहले तो इंदिरा जी को लगा कि आसानी से चुनाव जीत जाएँगी। परन्तु धीरे–धीरे अहसास होने लगा कि इमरजेंसी की ज्यादतियाँ, जर्बदस्ती नसबंदी एवं अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के मकान उजाड़ने के विरुद्ध जनता में जर्बदस्त गुस्सा है। इंदिरा जी के भाषणों में नरमी झलकने लगी। वे ज्यादतियों के लिए मांफी माँगने लगीं।

कम्युनिस्ट पार्टी जेपी आंदोलन के समय से काँग्रेस के साथ खड़ी थी। संसद के भीतर और बाहर कामरेड बेशर्मी के साथ इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे। सी.पी.एम. यद्यपि इमरजेंसी के विरोध में थी परन्तु इसने इमरजेंसी विरोध के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। अकाली दल का पंजाब में तथा डी.एम.के का तमिलनाडु में जनता पार्टी से समझौता हो गया था।

16 से 19 मार्च के बीच चार चरणों में चुनाव हुआ। 1971 में 341 सीटें जीतने वाली काँग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी 270 सीट, काँग्रेस फार डेमोक्रेसी 28 सीट, सी.पी.एम. को 22 सीट प्राप्त हुई। जनता ने इंदिरा जी से बदला ले लिया था। देर रात कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी हटाने का निर्णय किया गया।

आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद कर आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। हजारों राजनैतिक बंदियों का परिवार बिखर गया। बड़ी संख्या में लोगों की जेलों में ही मृत्यु हो गई। 1977 के चुनाव परिणाम के बाद अब देश में कोई तानाशाह नहीं पनप सकता है। कोई प्रेस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। निरीह समझे जाने वाली जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लोकतंत्र जनता के दिलों दिमाग में बसा है। यदि वहाँ इसकी मृत्यु हो गई तो न कोई संविधान और न ही न्यायाधीश उसको बचा पाएगा।

जे.पी. ने इसे आाजादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी। अन्ततः तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत हुई और भारत की जनता को वोट की ताकत का पहला एहसास हुआ।

(हिन्दुस्तान में 25 जून, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

संवैधानिक तानाशाही के बुलडोजर का डरावना सच था आपातकाल

1971 में भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने के लिए धारा 352 के तहत देश में पहले से एक इमरजेंसी लागू थी। फिर आंतरिक गड़बडियों के कारण देश की सुरक्षा पर संकट के नाम पर एक और इमरजेंसी 25 जून 1975 को थोपने का क्या औचित्य था ? क्या वास्तव में आंतरिक अराजकता के कारण देश की सुरक्षा खतरे में थी?

यदि 12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गाँधी के चुनाव को रद्द नहीं करता तथा 23 जून को सुप्रीम कोर्ट संसद में मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं करता तो संभवतः देश पर दूसरी इमरजेंसी नहीं थोपी जाती।

सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष और मीडिया का मुँह बंद करना आवश्यक था। अतः जेपी सहित 1 लाख 10 हजार राजनैतिक कार्यकर्ता जेलों में बंद कर दिए गए । सेंसरशिप लागू कर दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना, प्रदर्शन, बंद जुलूस निकालने पर रोक थी। राजनैतिक दलों के कार्यालय पर ताले लटक गए। कांग्रेस के लोग '' इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा'' के नारे लगा कर तानाशाही का नया नरेशन गढने लगे। पूरे देश में डर, भय, आतंक का महौल पैदा कर दिया गया ताकि कोई सरकार को चुनौती नहीं दे सके।

बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति और गोलकनाथ – केशवानंद भारती मुकदमें में सरकार के खिलाफ निर्णय के बाद सरकार और न्यायपालिका में टकराव बढ़ने लगा। न्यायाधीशों को सबक सिखाने के लिए वरिष्ठतम जजों को दरकिनार कर अनुकूल और कनिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाने लगा।

फिर खेल प्रारम्भ हुआ संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में सही ठहराये गए आरोपों को निष्प्रभावी बनाने का। लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की धज्जियां

उड़ाकर वे सारे संशोधन किए गए जिससे इंदिरा गांधी का अवैध चुनाव न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही वैध हो जाए। इंदिरा गाँधी पर एक आरोप था कि उन्होंने निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया है। इस बीच 3 अक्टूबर 1974 को अमर नाथ चावला केस में कोर्ट के द्वारा चुनावी खर्च संबंधी निर्णय से इंदिरा गांधी का न्यायालय में लम्बित मुकदमा प्रभावित हो सकता था। अतः 21 दिसम्बर, 74 को जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में एक स्पष्टीकरण भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ा गया जिसके द्वारा किसी राजनैतिक दल, मित्र, समर्थक द्वारा किया गया खर्च उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार खर्च संबंधी आरोप को निष्प्रभावी कर दिया गया।

इमरजेंसी लगाने के साथ ही सरकार ने संविधान की धारा 359(1) के तहत आदेश निर्गत कर दिया कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान 14, 21 और 22 को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में एटर्नी जनरल नीरेन डे ने कहा कि "यदि किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाय तो भी न्यायालय इमरजेंसी में पीड़ित की कोई मदद नहीं कर सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने 4–1 के बहुमत से 9 उच्च न्यायालयों के निर्णय को खारिज कर फैसला दिया कि मीसा के तहत गिरफ्तार कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में रिट दाखिल नहीं कर सकता है।

इंदिरा गांधी जल्दबाजी में थीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के पहले सारे संशोधन करवा लेना चाहती थीं। 21 जुलाई, 75 को संसद का सत्र आहूत किया गया। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। प्रश्न काल स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले 38वां सविधान संशोधन लाकर धारा 352 को संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

4 अगस्त, 1975 को निर्वाचन कानून (संशोधन) बिल, 1975, संसद में पेश किया गया जिसके द्वारा आधे दर्जन संशोधन कर भूतलक्षी प्रभाव से इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका से जुड़े सभी आरोपों को निष्प्रभावी बना दिया गया।

जिन मामलों का निष्पादन कोर्ट ने कर दिया था, उन पर भी ये संशोधन लागू कर दिए गए। अयोग्यता समाप्त करने या कम करने का अधिकार भी चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति को सौंप दिया गया।

इंदिरा गांधी इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। 11 अगस्त, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के पहले बची खुची त्रुटियों को भी कील कांटा ठोकर चुनाव याचिका को पूर्णतया निष्प्रभावी कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन विधेयक 7 अगस्त को लोकसभा से, 8 अगस्त को राज्य सभा से और 9 अगस्त को पहले से आहूत 17 राज्य विधान सभाओं से आमंत्रित विपक्ष नेताओं की गैरमौजूदगी में चंद घंटों में पारित करा कर 10 तारीख की रात्रि तक राष्ट्रपति की सहमति ले ली गई।

39वें संविधान संशोधन में विशेष प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति के विरूद्ध चुनाव याचिका से जुडे किसी मामले में यदि न्यायालय ने इस संशोधन के पूर्व दोषी पाया है, तो भी वह चुनाव अवैध नहीं माना जाएगा।

इस घटनाक्रम पर एक विदेशी अखबार का शीर्षक था "कानून उल्लघंन के दोषी हैं, तो क्या करना चाहिए। सरल। कानून को ही भूतलक्षी प्रभाव से बदल दीजिए।"

संसद के अंतिम दिन यानि 9 अगस्त, 1975 को कानून मंत्री गोखले ने एक और संविधान संशोधन बिल लाकर सबको चौंका दिया। इसमें प्रावधान था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व एवं कार्यकाल के दौरान किए गए किसी आपराधिक कृत्य के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। यानि अगर कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित काम करता है और एक दिन के लिए भी राज्यपाल बन जाए तो वह आजीवन सभी आपराधिक मामलों से मुक्त समझा जाएगा।

राज्य सभा से बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। चूंकि संसद उसी दिन स्थगित हो गई, अतः उसे लोक सभा में पेश नहीं किया जा सका। इस बिल की व्यापक आलोचना होने के कारण इसे कभी संसद से पारित नहीं कराया गया।

28 अगस्त, 1976 को कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला 42वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष पेश किया गया। इसमें प्रावधान था कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्णय न्यूनतम सात जजों की बेंच ही कर सकेगी और किसी कानून को 2/3 के बहुमत से ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा। केशवानंद भारती के मामले में मूलभूत ढांचे के

सिद्धांत को बलि चढ़ाते हुए प्रावधान किया गया कि धारा 368 के तहत किए गए सभी संविधान संशोधन वैध माने जाएंगे। संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल कर दिया गया।

यद्यपि 7 नवम्बर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गाँधी को चुनाव में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया, परन्तु 39वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा उन्होंने अपने अवैध चुनाव को वैध करने का प्रयास किया था , उसे खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर आसीन एक व्यक्ति अपनी सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार संविधान का दुरूपयोग कर सकता था है, इसका शर्मनाक उदाहरण था वह आपातकाल।

1977 में इंदिरा गाँधी चुनाव हार गईं। 1977 में बनीं जनता पार्टी की सरकार ने 43वां एवं 44वां संविधान संशोधन कर ऐसे प्रावधान किये ताकि भविष्य में देश में कोई व्यक्ति संवैधानिक तानाशाही कायम न कर सके।

आजाद भारत के इंतिहास में सन् 75 वाली इमरजेंसी एक ऐसा बदनुमा धब्बा है, जिसकी बड़ी कीमत इस देश को चुकानी पड़ी।

(प्रभात खबर में 25 जून, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद कर आज भी सिहरन पैदा हो जाती है। हजारों राजनैतिक बंदियों का परिवार बिखर गया। बड़ी संख्या में लोगों की जेलों में ही मृत्यु हो गई। 1977 के चुनाव परिणाम के बाद अब देश में कोई तानाशाह नहीं पनप सकता है। कोई प्रेस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता।

सुशील कुमार मोदी

प्रेस के लिए कोरोना काल था इंदिरा का आपातकाल

1975 के पहले भी 1962 में साम्यवादी चीन के आक्रमण और मात्र नौ साल बाद 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था, लेकिन दोनों बार प्रेस की आजादी नहीं छीनी गई थी। 1962 में कांग्रेस सरकार की गलतियों और प्रतिरक्षा नीति की खुलेआम आलोचना होती रही। विपक्ष एवं प्रेस के विरोधी स्वर के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को अपने चहेते रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का इस्तीफा लेना पडा था। परन्तु पंडित नेहरु ने कभी प्रेस की आजादी में दखल नहीं दिया।

इसके विपरीत श्रीमती इंदिरा गॉधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनके चुनाव को रदद् करने के बाद त्यागपत्र देने के बजाय अपने पद पर बने रहने के लिए 25–26 जून की आधी रात को जो इमरजेंसी लगायी, उसकी सबसे बड़ी मार प्रेस पर ही पड़ी। इंदिरा जी का आपातकाल स्वतंत्र प्रेस के लिए उस वक्त का कोरोना काल साबित हुआ। उस दौर में प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुरशाह जफर मार्ग पर थे, वहां की बिजली लाईन काट दी गई, ताकि अगले दिन के अखबार प्रकाशित नहीं हो सकें। जो अखबार छप भी गए, उनके बण्डल जप्त कर लिए गए। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए।

आदेश था बिजली काट दो, मशीन रोक दो, बण्डल छीन लो। 26 जून की दोपहर होते–होते प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी को रौंद डाला गया। अखबारों के दफ्तर में अधिकारी बैठा दिये गये। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के अखबारों में राजनीतिक समाचार नहीं छापे जा सकते थे।

जब इंद्र कुमार गुजराल सरकार के मनोनुकूल मीडिया को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आपातकाल के शुरूआती दिनों में उन्हें हटा कर विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर सहित लगभग 250 पत्रकारों को पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 50 से ज्यादा पत्रकारों, कैमरामेन की

सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं आयकर, बिजली, नगरपालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गये । बैंको को कर्ज देने से रोका गया। कुछ अखबारों का प्रबंधन सत्ता समर्थक लोगों के हाथों में सौंपने का प्रयास भी हुआ था।

कुछ अखबारों ने सेंसरशिप के पहले दिन विरोध में सम्पादकीय स्थान को खाली छोड़ दिया। एक अखबार ने सेंसरशिप की आँखों से बचकर शोक सन्देश के कालम में छापा–'आजादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून,1975 को मृत्यु हो गई'। उस वक्त कुछ मुट्ठी भर पत्रकारों एवं 1–2 अखबारों को छोड़ कर ज्यादातर ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए।

सेंसरशिप के कारण जेपी सहित अन्य कौन–कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें,किन–किन जेलों में रखा गया, ये समाचार छपने नहीं दिये गए। यहाँ तक की संसद एवं न्यायलय की कार्यवाही पर भी सेंसरशिप लागू थी। संसद में अगर किसी सदस्य ने आपातकाल, प्रधानमंत्री या सेंसरशिप के खिलाफ भाषण दिया, तो वह कहीं नहीं छप सकता था। सीपीएम नेता नम्बूदरीपाद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख कर कहा था कि आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों ने विरोधी नेताओं के नाम और बयान छापने पर रोक नहीं लगाई थी। श्री नानी पालकीवाला इंदिरा गाँधी के सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, लेकिन उन्होंने आपातकाल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका वह पत्र कभी छप नहीं सका। न्यायालय में सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णय को छापने की भी मनाही थी।

यह विडम्बना थी कि जिस इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रेस सेंसरसिशप लागू किया, उसी इंदिरा नेहरू गांधी के पति फिरोज गांधी प्रेस की आजादी और विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। स्वाधीन भारत के प्रारम्भिक वर्षो में संसद की कार्यवाही को छापने पर अनेक पाबंदियां थीं और इसका उल्लंघन करने पर किसी पत्रकार पर मुकदमा चलाया जा सकता था। बाद में फिरोज गांधी के प्रयास से यह प्रतिबंध हटा। उन्होंने सांसद के तौर पर गैर–सरकारी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) लाकर 'संसदीय कार्यवाही प्रकाशन एवं संरक्षण एक्ट 1956' पारित कराया, जिसमें संसद की कार्यवाही के प्रकाशन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

इंदिरा गांधी ने 1972–73 में भी अखबारों की आजादी पर अकुंश लगाने का परोक्ष प्रयास किया था। उन दिनों न्यूज प्रिंट आयात किया जाता था और सर्कुलेशन के आधार पर उनके न्यूज प्रिंट का कोटा निर्धारित था। 1972–73 में न्यूजप्रिंट पालिसी के अंतर्गत सरकार ने नई पाबन्दियाँ लगा रखी थीं। इसके अनुसार कोई समाचार–पत्र समूह दो से ज्यादा अखबार या नया संस्करण नहीं निकाल सकता था, अखबार 10 पृष्ठ से ज्यादा के नहीं हो सकते थे, समूह के भीतर कोटा की अदला–बदली नहीं हो सकती थी, आदि–आदि। इस मामले में इंदिरा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुँह की खानी पड़ी थी।

आपातकाल की ज्यादतियों के समाचार को विदेशी अखबारों में छपने से सरकार रोक नहीं पा रही थी। इंदिरा जी विदेशी पत्रकारों पर काफी नाराज थीं। लोग विश्वसनीय समाचार के लिए आकाशवाणी के बजाय बी.बी.सी.न्यूज पर भरोसा करने लगे थे। भारत में बी.बी.सी. के प्रमुख संवाददाता मार्क टुली को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स, न्यूज वीक, द डेली टेलीग्राफ के संवादाताओं को भी भारत छोड़ना पड़ा।

सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग्य, चुटकले भी सेंसर की मार से बच नहीं पाए। अपने समय के व्यंग्य चित्रों की प्रसिद्ध पत्रिका "शंकर्स वीकली" को अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। वीकली ने अंतिम सम्पादकीय में लिखा–'तानाशाही कभी हँसी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तब लोग तानाशाह पर हँसेंगे।

केवल पत्रकार ही नहीं, फिल्मी हस्तियों पर भी गाज गिरी। जो अभिनेता–कलाकार सरकार के समर्थन में नहीं थे, उन्हें काली सूची में डाल दिया गया। प्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोर कुमार के रोमांटिक फिल्मी गानों का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण रोक दिया गया था।

गुलजार की फिल्म 'आंधी' पर रोक लगा दी गई क्योंकि नायिका सुचित्रा सेन और नायक संजीव कुमार फिल्म में इंदिरा गांधी और फिरोज गॉधी से मिलते जुलते लगते थे। कांग्रेस सांसद अमृत नाहटा की फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' भी कोपभाजन बनी। उसमें शबाना आजमी और राज बब्बर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के प्रिंट को जला दिया गया।

अखबारों की खबरों पर सेंसर के कारण भूमिगत प्रचार तंत्र तैयार हो गया। गुप्त रूप से निकलने वाली पत्र–पत्रिकाओं, पर्चों का वितरण और सार्वजनिक दीवरों पर चोरी छिपे नारे आदि लिखना ही जोखिम भरा माध्यम रह गया था। ऐसे पर्चे छापने वाले 'प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगा दिया गया। गिरफ्तारी के डर से साइक्लोस्टाईल कर चोरी छिपे पर्चा, पत्रिकाएं वितरित की जाने लगी।

प्रेस पर ऐसे कठोर अंकुश लगाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गाँधी जमीनी हकीकत से काफी दूर हो गई। जनता के बड़े वर्ग में भीतर–भीतर ऐसा आक्रोश पनपा कि जब आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 में संसदीय चुनाव हुए, तब लगभग पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। प्रेस की आजादी छीनने की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गँवा कर चुकानी पड़ी थी।

(दैनिक जागरण में 25 जून, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

पेरोल पर रिहाई, पिटाई, फिर जेल

सरकार से अपनी सगी बहन उषा की शादी में शामिल होने के लिए पेरोल (छुट्टी) माँगा था। सरकार ने इंकार कर दिया। अपनी सगी बहन की शादी में शरीक होने से वंचित हो गया। इस बीच चचेरी बहन रेणु की शादी 21 जनवरी, 1976 को निर्धारित हो गई। पेरोल पर रिहा होने की इजाजत बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद मिली। सोचा, सगी बहन न सही, चचेरी बहन की शादी में तो शामिल हो जाऊँगा। परन्तु इमरजेंसी के दौरान अधिकारियों के निरंकुश व्यवहार, अहंकार और अत्याचार की दुःखती यादों की तरह यह घटना भी मेरी जेल डायरी में दर्ज हो गई।

केन्द्रीय कारा, हजारीबाग के गेट के सामने ही जिले के उपायुक्त श्री दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय का बंगला था। जेल से पेरोल पर रिहा होते ही सोचा कि उपायुक्त से मिलकर जेल की अव्यवस्था से उनको अवगत करा दूँ। सामान रिक्शा पर ही था। मैं, सीधे बंगले में प्रवेश कर गया। उपायुक्त गाड़ी पर बैठने ही जा रहे थे। मैं हिम्मत कर उनकी गाड़ी के पास गया और अपना परिचय देते हुए कहा ''सर, एक मिनट आपसे बात करनी है।'' इतना कहना था कि उपायुक्त गाड़ी से उतरे और मुझे मारना शुरू कर दिया। उनके अहंकार को ठेस लगी कि इमरजेंसी में एक मीसाबंदी बिना इजाजत के बंगले में कैसे चला आया? वे घूसों, थप्पड़ों से मारे जा रहे थे। मैंने कहा 'सर माफ कर दीजिए। गलती हो गई। कल बहन की शादी है' वे गुस्से में बोल रहे थे 'जानते नहीं जिला का मालिक हूँ। जिन्दगी भर जेल में सड़ा दूँगा।' मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कालर पकड़ कर घसीटते हुए बगल के कमरे में बंद कर दिया।

थोड़ी देर बार हजारीबाग कोतवाली की पुलिस ने आकर मुझे गिरफ्तार कर पुलिस हाजत में बंद कर दिया। 6 माह बाद जेल से निकला था और 2 घंटे के भीतर फिर पुलिस हिरासत में पहुँच गया। इमरजेंसी का इतना खौफ कि कोई स्थानीय कार्यकर्ता गिरफ्तारी के डर से मिलने तक

नहीं आया। 24 घंटे बाद मुझे कोर्ट में पेश किया गया। परिवार के लोगों ने पटना से आकर जमानत ली। जब तक सड़क मार्ग से पटना पहुँचता तब तक शादी की अधिकांश रस्में पूरी हो चुकी थी।

इमरजेंसी की ज्यादतियों की जाँच के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में शाह आयोग का गठन किया था। यह मामला शाह आयोग तक पहुँचा। परन्तु 2 वर्ष के भीतर ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और सारे मामले ठण्डे बस्ते में दफन हो गए।

इमरजेंसी के दौरान एक लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशीप, नसबंदी आदि के नाम पर निरंकुश शासन की ज्यादातियों, देश में संवैधानिक तानाशाही थोपने के प्रयास का खामियाजा इंदिरा गांधी को 1977 में भुगतना पड़ा था, जब वे खुद चुनाव हार गई और कांग्रेस का केन्द्र की सत्ता से सफाया हो गया।

(दैनिक भास्कर में 25 जून, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

इमरजेंसी की ज्यादतियों की जाँच के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में शाह आयोग का गठन किया था। यह मामला शाह आयोग तक पहुँचा। परन्तु 2 वर्ष के भीतर ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और सारे मामले ठण्डे बस्ते में दफन हो गए।

सुशील कुमार मोदी

जब सगी बहन की शादी में शामिल होने से सरकार ने इन्कार कर दिया

सुशील मोदी का पत्र बहन के नाम

(मीसाबंदी सुशील कुमार मोदी को सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सरकार ने इमरजेंसी में रिहा करने से मना कर दिया था। शादी में शामिल नहीं हो पाने की कसक से भरा यह पत्र हजारी बाग केन्द्रीय कारा से लिखा गया था।)

22.01.1976

हजारीबाग केन्द्रीय कारा

प्रिय बहन उषा,

संध्या के 7 बज रहे हैं। तुम्हारा जीवन साथी द्वार पर आ चुका होगा। शहनाई बज रही होगी। सारे लोग बारात की आव-भगत में व्यस्त होंगे। सारा घर परिवार के सदस्यों-मित्र परिजनों से भरा होगा। कल तुम अपने नये घर में चली जाओगी। नवीन जीवन प्रारम्भ करोगी। ऐसी मंगल बेला में तुम्हारा एक भाई इस कार्य में सहयोगी नहीं हो सका। तुमलोगों को भी मेरा अभाव खटक रहा होगा। बार-बार आज का दिन भुलाना चाह रहा था, ताकि मानसिक कष्ट न हो। किन्तु रह-रह कर तुम्हारी याद आ जाती थी। फलतः यह पत्र लिखने बैठ गया। उषा चिन्ता मत करो, शीघ्र मैं बाहर आकर अपने अभाव को दूर कर दूंगा। मैं भले ही तेरी शादी में शरीक नहीं हो सका, परन्तु तेरे अनेक भाई तो वहां होंगे ही। उषा जब देश पर इस प्रकार संकट के बादल घिरे हो, हजारों नौजवान स्त्री पुरूष जेल में बन्द हो, तो केवल एक तेरा भाई क्या महत्व रखता है?

कितने लोगों के घरों में मृत्यु हो गयी किन्तु वे अपने घर वालों का दर्शन भी नहीं कर सके? फिर शादी कौन सी बड़ी चीज है? उषा तुम लोगों को लगता होगा कि मैं घर को कोई सहयोग नही करता और शायद कर भी न पाऊँ? परन्तु यदि मेरे जैसे हजारों नौजवान अपनी जवानी खपा कर देश के लाखों परिवार को

खुशहाल कर सके, तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारी शादी के बाद शायद मेरा ही नम्बर हैं। किन्तु अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। मैंने कोई प्रतिज्ञा तो नहीं किन्तु निश्चय किया हैं कि अगामी 5 वर्ष अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं करूँगा।

अब बचपना छोड़कर नये घर को सुख, शान्ति, समृद्धि प्रदान करो। तुम्हारा एक फालतू भाई इससे अधिक इस चाहरदिवारी से तुझे और क्या आशीर्वचन दे सकता है। ईश्वर से यही इच्छा है तेरा भावी जीवन सुखमय हो।

फिर मिलेंगे?
तुम्हारा भाई,
सुशील कुमार मोदी

(नोट-किसी को जेल पर मिलने हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिलने पर बन्धन है। समस्तीपुर डीसी या होम डिपार्टमेंट की अनुमति और फिर हजारीबाग डीसी की अनुमति से ही मुलाकात होती है। इतनी लम्बी प्रक्रिया के बाद मिलने की आवश्यकता नहीं, फिर भी समाचार भेजना हो तो पत्र द्वारा सीधे भेज दें। आज हमलोगों ने शादी के उपलक्ष्य में खूब मिठाई खाई। कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं।)

◈◈◈

EMERGENCY: COMMAND OF A DESPOT

On the midnight of 25th – 26th June 1975, the President of India on advice of Indira Gandhi and without approval of her Cabinet, signed a proclamation 'declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances'. What was the need for a second emergency when an emergency due to Indo-Pak war was already in existence since 1971? Was security of India really threatened due to internal disturbances?

The immediate trigger for imposition of emergency was the judgment of Allahabad HC on 12th June1975 which found Mrs. Gandhi guilty of electoral corrupt practices and disqualified her from holding any public office for 6 years. On 23rd June, the Supreme Court Vacation Judge granted partial stay but without any voting right in Parliament.

Ego shattered, pride beaten, a united opposition under JP baying for her resignation, a loud media waiting for every opportunity to criticize, a non-pliant judiciary that struck down bank nationalization, privy purses case and clipped the power of Parliament by propounding the basic structure doctrine in Kesavananda Bharti, all seemed to challenge the authority of Indira Gandhi. Feeling insecure and threatened, Indira Gandhi opted for imposition of emergency to silence her critics.

More than a lakh-political workers including JP, Morarji, Atalji, Charan Singh were arrested under Defence of India Rules and MISA. Censorship was imposed on the media. RSS was banned. All political activities were

forbidden. Many newspapers carried blank editorials to protest censorship. To evade the eyes of censor, one newspaper inserted a news item in the obituary column. "Died, D.E.M. OCRACY, Mother of Freedom, Daughter of L.I. Berty, on 26thJune, 1975'.

Prior to imposition of emergency, onslaught on the judiciary had begun. Mrs. Gandhi superseded three judges who had given the judgment against the government in Kesavananda Bharti case and appointed Justice AN Ray as Chief Justice. In another instance, Justice HR Khanna was superseded and Justice HM Beg was appointed as Chief Justice. 14 High Court judges who were found not pliable were transferred.

On 27th June 1975, a declaration was made under Article 359(1) whereby no person could move the courts for enforcement of Articles 14, 19 and 21. The height of subversion was exemplified by then Attorney General Niren De stating in open court that during emergency, even if a person was threatened to be killed, he had no remedy in law. The Supreme Court overruled 9 High Courts that had given relief to the detenues and held that persons arrested under MISA could not file writ petitions before High Courts.

During this period, sycophancy was also at its peak. The Congress which claimed monopoly over the Indian freedom movement was sloganeering 'Indira is India and India is Indira'. With the entire opposition in jail and media gagged, governance through arrest, fear, intimidation and terror, became the norm.

The election disqualification case in the Supreme Court was scheduled for hearing from 11th August1975. Indira Gandhi was in a tearing hurry to amend both the Constitution and the Representation of Peoples Act retrospectively to legislatively validate her election.

On 21st July1975, Parliament was convened. By passing the 38th constitution amendment, imposition of emergency was made non-justiciable as it involved 'waste of public money'. On 4th August1975, Election Law (Amendment) Bill was introduced to retrospectively validate all corrupt practices on which Mrs. Gandhi's election had been challenged. These amendments took care of the issue of election symbol, election expenses, resignation of government servants etc. The amendment shifted the power to remove or reduce disqualification from Election Commission to the President.

By the 39th constitution amendment, elections of Prime Minister, President, Vice President and Speaker could not be called in question before any court. It also added that any order made by any court setting aside an election of these four functionaries would be deemed to be void and any such order passed earlier would also be deemed to be void.

Another deplorable amendment that eventually lapsed was 41st constitutional amendment that sought to amend Article 361 and give life long immunity from criminal prosecution to the Prime Minister, Governor and President for all acts done before assumption of office and during their tenure in office. This meant that a person committing the most heinous crime could escape law be becoming Governor even for a day.

The misuse of constitutional powers did not stop there. On 28th August1976, the 42nd constitution amendment was introduced which provided that constitutionality of a legislation could only be decided by not less than 7 judges and any law could be struck down by only 2/3rd majority of judges. To negate the principle of basic structure, the Bill provided that any constitutional amendment under Article 368 would be valid. The amendment also increased the tenure of Lok Sabha from five to six years.

Thus, all loopholes were plugged. Rules of the game were changed retrospectively. The amendments removed the whole basis on which Mrs. Gandhi had been found guilty. The outcome of the case in Supreme Court was a foregone conclusion. Mrs. Gandhi was eventually acquitted on 7th November 1975 from all the charges.

Confident of victory in elections, Mrs.Gandhi called for early elections to take the opposition by surprise. But in the 1977 general elections, Janta Party stormed into power with a thumping majority. Indira Gandhi was defeated by the same Raj Narain who had filed the election petition in Allahabad High Court. Sanjay Gandhi, the illegitimate constitutional authority during emergency was also defeated. Congress was wiped out of the entire North India and the Hindi heartland. The great upheaval of 1975 was finally reversed after Janta Party introduced the 43rd and 44th amendment and restored the primacy of the constitution and rule of law.

It may be 46 years to that horrid day, but emergency is a story which needs to be told and retold. Emergency strengthened democratic ideals of a free press, an independent judiciary and a transparent government and it was people and their faith in democracy, which emerged as the only true winners.

(Indian Express में 26 जून, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

जातीय जनगणना

राज्य जातीय जनगणना कराने को स्वतंत्र है

1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद हर जनगणना के पूर्व जातीय गणना की माँग राजनैतिक दलों द्वारा उठायी जाती रही है। तत्कालीन गृह मंत्री श्री. पी. चिदम्बरम् ने लोक सभा में 7 मई, 2010 को जातीय गणना के मुद्दे पर सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि 'आजादी के बाद नीतिगत तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। श्री चिदम्बरम ने आगे कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लाजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाईयां हैं और इससे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी।

अन्ततः यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ जातीय गणना की माँग को अस्वीकार कर दिया। परन्तु राजनैतिक दबाव में 5 हजार करोड़ व्यय कर 2011 में बिना पूर्व तैयारी के जनगणना-2011 के बाद अलग से सामाजिक, आर्थिक, जातीय सेंसस, 2011 करा ली गई। लोगों ने जाति, उप-जाति, नाम, उप-नाम, गोत्र, समुदाय के नाम दर्ज करा दिए। परिणामतः जहाँ पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 2479 जातियाँ है, सभी राज्यों की सूची मिलाकर 3150 जातियाँ हैं, 1931 की जनगणना में 4147 जातियाँ सूचीबद्ध की गई थी, वहीं सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना-2011 में 46 लाख जातियाँ दर्ज हो गई।

महाराष्ट्र में कुल 494 जातियाँ है जबकि 4 लाख 28 हजार जातियाँ दर्ज हुई। 1.17 करोड़ लोगों ने महाराष्ट्र में 'कोई जाति नहीं' दर्ज करा दिया। पूरे देश में समाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना-2011 में 1 करोड़ 18 लाख त्रुटियां पाई गई। एक-एक जाति को 45 प्रकार से दर्ज कर दिया गया। इन आँकड़ों में इतनी

अशुद्धता, विसंगति, त्रुटियाँ थी कि उनका वर्गीकरण करना संभव नहीं था। आंकड़ों की इस अराजकता के कारण केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना-2011 के जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया।

2010 में संसद में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के श्री गोपी नाथ मुण्डे, श्री हुकुमदेव नारायण यादव ने जोरदार तरीके से जातीय गणना की वकालत की थी। बिहार विधान सभा और विधान परिषद् तथा उड़ीसा विधान सभा द्वारा जातीय जनगणना कराने के सर्वसम्मत प्रस्ताव में भाजपा भी शामिल थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पिछले दिनों मिलने वाले बिहार एवं झारखण्ड के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल थे। यदि भाजपा जातीय गणना के पक्ष में नहीं होती तो संसद में बहस, बिहार एवं उड़ीसा विधान मंडल के सर्वसम्मत प्रस्ताव और सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल का हिस्सा कैसे होती?

संविधान की धारा 330 और 332 के अंतर्गत लोक सभा और विधान सभाओं में एससी/एसटी की राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण होता है। अतः एससी/एसटी की जनगणना कराने का संवैधानिक जनादेश है जबकि पिछड़े वर्गों को विधायिका में आरक्षण नहीं होने के कारण ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इसी कारण 1951 के बाद की प्रत्येक जनगणना में एससी/एसटी की अलग से जनगणना की गई परन्तु कभी भी पिछड़े वर्गों की जातियों की गणना नहीं की गई।

लेकिन संवैधानिक प्रावधानों, सेन्सस एक्ट, 1948, पूर्व की 7 जनगणना एवं समाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना-2011 के अनुभव के आधार पर क्या केंद्र सरकार के लिए जनगणना 2021 के साथ जातीय जनगणना कराना संभव है?

भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को समाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना-2011 की विफलताओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा है कि

सेन्सस-2021 की तैयारी 3-4 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। सेन्सस एक्ट 1948 के तहत सभी प्रकार के प्रारूप, मैनुअल, प्रशिक्षण मार्ग दर्शिका को 16 से 18 भाषाओं में अनुवाद कराकर पर्याप्त संख्या में छपाए जा चुके हैं।

जनगणना 2021 के दौरान पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेन्सस हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों का फिल्ड ट्रायल अगस्त-सितम्बर 2019 में ही पूरा कर 7 जनवरी 2020 को 31 प्रश्नों को अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा चुका है। अतः अंतिम समय में किसी नए प्रश्न को जोड़ना व्यवहारिक नहीं होगा।

2021 की जनगणना पहली बार डिजीटल माध्यम से होने वाली है। समस्त सूचनाएँ मोबाइल के माध्यम से ड्राप डाउन मेनू का मोबाइल पर ही टाइप कर दर्ज की जानी है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के विकल्प को कोड संख्या दी गई है। एससी/एसटी की एक ही केन्द्रीय सूची है। प्रत्येक जाति को निश्चित कोड संख्या दी गई। अतः जाति का नाम बताते ही ड्राप डाउन मेनू में सम्बंधित कोड को क्लिक कर सूचना दर्ज की जा सकती है। इस कारण एससी/एसटी की डिजिटल जनगणना कराना आसान है।

परन्तु पिछड़े वर्गों कि स्थिति सर्वथा भिन्न है। पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची और राज्य सूची अलग है। 5 राज्यों में पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं है। 4 राज्यों में केवल केन्द्रीय सूची है। कुछ राज्यों में अनाथ और बेसहारा बच्चे तथा कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति से मतांतरित ईसाई पिछड़े वर्गों में शामिल है। मण्डल कमीशन के बाद कुछ पेशागत जातियाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों में शामिल है। अतः इतनी विविधता, जटिलता वाले देश में केन्द्र सरकार के लिए जातिगत गणना तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर कराना संभव नहीं है।

अनेक राज्य सरकारों ने अपने स्तर से जातीय गणना कराने की पहल की है। 2015 में कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 147

करोड़ खर्च कर राज्य में जातीय गणना करायी थी परन्तु कुछ प्रमुख जातियों की संख्या अपेक्षा से काफी कम पाये जाने पर आँकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए जा सके । उड़ीसा सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है परन्तु कोविड के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। तेलंगाना सरकार ने 2014 अगस्त में 'समग्र कुटुम्ब सर्वे' के माध्यम से जातीय जनगणना भी करायी जिसमें पिछड़े वर्गों की संख्या 51% पायी गई थी। केरल सरकार ने ऊँची जाति में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों की पहचान हेतु सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

अत: कोई राज्य सरकार जातीय गणना कराना चाहे और उसे लगता है कि वह कराने में सक्षम है तो वह कराने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए केन्द्र या कोर्ट की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है।

जातीय जनगणना से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है यद्यपि पट्टलीमक्कल काची बनाम केन्द्र सरकार से जुड़ी जातीय जनगणना कराने संबंधी याचिका को 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एक अन्य मामले में भी मद्रास हाई कोर्ट के जातीय जनगणना कराने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार की जातीय जनगणना संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकती हैं। लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार कराना चाहिए।

(दैनिक हिंदुस्तान में 20 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित)

◈◈◈

अर्थ-चिंतन

बीमा क्षेत्र को बचाने में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश कारगर होगा

आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संसद के दोनों सदनों ने बीमा संशोधन विधेयक, 2021 को बजट सत्र में पारित कर दिया है । 60 से ज्यादा हित–धारकों से परामर्श के बाद इस विधेयक द्वारा बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा कर 74% किया गया है। 2015 में मोदी सरकार ने पहले विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ा कर 49% किया था और मात्र 6 वर्षों में ही इसे बढ़ा कर 74% कर दिया है ।

1994 में कांग्रेस सरकार के दौरान बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु आर. बी. आई. के पूर्व गवर्नर आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने बीमा क्षेत्र में निजी सहभागिता और विदेशी पूंजी निवेश की अनुशंसा की थी। परन्तु कांग्रेस और उसकी समर्थित सरकारें इन अनुशंसाओं को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2000 में पहली बार निजी सहभागिता और 26% विदेशी निवेश की अनुमति देने वाला विधेयक संसद में पारित कर बीमा क्षेत्र में नीतिगत सुधार किया।

कांग्रेस की सरकारें लगातार सत्ता में रहने के बाबजूद 1991 के आर्थिक सुधारों के अतिरिक्त कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी, इन्सोल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, डेवेलपमेंट फाइनेंसियल इंस्टीच्यूशन, मोनेटाइजेशन, निजीकरण, लेबर कोड, तीन कृषि बिल आदि महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आर्थिक एवं कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया है।

74% विदेशी निवेश बीमा कंपनियों के लिए बाध्यकारी नहीं है। बीमा कंपनी यदि चाहे तो वह 74% तक विदेशी इक्विटी बढ़ा सकती है। निजी क्षेत्र की पांच कम्पनियाँ की विदेशी इक्विटी 49% तक पहुँच चुकी है। ये कम्पनियाँ यदि चाहे तों 74% तक विदेशी इक्विटी बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।

इस अधिनियम में बीमाधारकों, भारतीय कंपनियों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं। इंश्योरेंस एक्ट की धारा 27ई

यह सुनिश्चित करता है कि बीमाधारकों की पूंजी भारतीय सीमा में ही रहे। 'कोई बीमा कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बीमाधारकों के पैसे को भारत के बाहर निवेश नहीं कर सकती है' अधिनियम में 'भारतीय स्वामित्व एवं नियन्त्रण' हेतु प्रावधान है कि निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत सदस्य तथा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद केवल भारतीय नागरिक धारित कर सकेंगे। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी भी हो उसे अपनी आय का एक सुनिश्चित हिस्सा रिजर्व फंड में रखना होगा ताकि विपरीत स्थिति में भी बीमा के प्रीमियम के दावे का भुगतान किया जा सके। इस प्रकार बीमा कम्पनियाँ हमेशा भारतीय न्यायालयों एवं कानून के दायरे में ही रहेगी।

भारत में बीमा क्षेत्र अत्यधिक रेगुलेटेड है। भारतीय बीमा नियामक अभिकरण सभी बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट के मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग, निवेश, स्वामित्व आदि सभी सेवाओं को प्रभावी तरीके से रेगुलेट करती है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि विदेशी पूंजी निवेश होने से कोई विदेशी यहाँ की पूंजी को बाहर लेकर चला जायेगा।

यदि दुनिया के अन्य देशों से बीमा के विस्तार और घनत्व की तुलना करें तो अभी भारत को लम्बी दूरी तय करनी है। भारत में बीमा का विस्तार GDP का मात्र 3.76% है जबकि मलेशिया (4.72%), थाईलैंड (4.99%) चीन (4.3%) तथा वैश्विक औसत 7.26% है। इसी प्रकार बीमा का घनत्व उत्साहवर्धक नहीं है। भारत का प्रति व्यक्ति प्रीमियम का औसत 78 डालर है जबकि वैश्विक औसत 818 डालर प्रति व्यक्ति है।

बीमा क्षेत्र अत्यंत जोखिम भरा तथा अत्यधिक पूंजी निवेश की प्रकृति वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पूंजी लगाने पर सात से दस वर्षों में लाभ संभावित है। इन कारणों से भारत के उद्योपति इस क्षेत्र में पूंजी लगाने में उत्सुक नहीं रहते हैं। वैश्विक महामारी तथा देश की अर्थ व्यवस्था में मंदी के मद्देनजर इस क्षेत्र में अधिक विदेशी सहभागिता समय का तकाजा है।

2018–19 के आंकड़े बताते हैं कि 2000 के बाद 24 प्राइवेट जीवन बीमा कम्पनियाँ जो इस क्षेत्र में आई उनमें से 20 मुनाफे में है तथा 21 में 7 सामान्य इंश्युरेंस कम्पनियाँ घाटे में हैं। 2000 के बाद निजी सहभागिता का परिणाम है कि बीमा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के प्रीमियम की हिस्सेदारी बढ़कर 42.2% हो गई।

बीमा नियामक के अनुसार किसी भी बीमा कम्पनी की परिसंपत्ति उसकी लाईबेलीटी का 150% होनी चाहिए जिसे सोल्वेंसी मार्जिन कहते

हैं। प्राइवेट कंपनियों की सोल्वेंसी मार्जिन 150% से ज्यादा है जो सौभाग्य पब्लिक सेक्टर में केवल एलआईसी (163%) को प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस का सोल्वेंसी मार्जिन 86% तथा नेशनल इंश्योरंस का 20% है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जहाँ एजेन्ट सहित 24 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में 17 लाख कर्मचारी हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राइवेट कंपनियों को लाभ होगा तथा रोजगार भी बढेगा।

1999 में इस देश में मात्र 9 बीमा कम्पनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र में ही थी। 2000 से निजी सहभागिता का परिणाम है कि आज देश में 70 बीमा कम्पनियाँ हैं जबकि अमेरिका जिसकी आबादी भारत की एक तिहाई है, में 5965 बीमा कम्पनियाँ कार्यरत है । विदेशी पूंजी निवेश कि सीमा को 26% से बढ़ा कर 49% करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में 26 हजार करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश हुआ तथा अब इसे बढ़ा कर 74% करने पर अगले तीन वर्ष में 30 हजार करोड़ के नए निवेश की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु भारत सरकार 2020–21 में 9500 करोड़ रूपये बीमा कंपनियों में निवेश कर चुकी है तथा अनुपूरक बजट द्वारा 4 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यदि विदेशी सहभागिता से पूंजी निवेश होता है तो सरकार भविष्य में बीमा क्षेत्र में निवेश करने वाले धन को अन्य विकास कार्यक्रमों पर व्यय कर सकती है।

बीमा क्षेत्र के विस्तार से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, नए–नए उत्पाद मिलेंगे, न्यूनतम मूल्य पर सेवाएँ मिलेंगी, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा प्रीमियम की दरें घटेंगी । विदेशी कम्पनियाँ नई तकनीक, अन्य देशों की बेहतर सेवाएँ अपने साथ लेकर आएँगी। बीमा कंपनियों ने देश की अर्थ व्यवस्था में दीर्घकालिक परिसम्पतियों के रूप में योगदान दिया है। एलआईसी इसका जीवंत उदाहरण है। नए बदलाव घरेलू बचत को भी बढ़ावा देंगे तथा छोटी बीमा कम्पनियाँ भी लाभान्वित होंगी।

विदेशी पूंजी निवेश रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। भारत को एलआईसी जैसी एक दर्जन कंपनियों की आवश्यकता है। 21वी शताब्दी में हम 19वी सदी की मानसिकता से प्रवेश नहीं कर सकते है। इस प्रकार के आर्थिक सुधारों से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।

◈◈◈

तेल का दामः कड़वा सच

केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर जीएसटी कौंसिल की लखनऊ में आयोजित 145वीं बैठक में केन्द्र और राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरें में लाने के निर्णय को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। जब-जब पेट्रालियम पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तब-तब यह मांग उठती है कि इन्हें जीएसटी में शामिल किया जाय ताकि इन पर वर्तमान में बेस मूल्य पर अधिरोपित 134.37% पेट्रोल तथा 116.32% डीजल पर कर/सेस के बजाय जीएसटी की अधिकतम दर 28% लगाया जा सके और पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय मूल्य को कम किया जा सके।

पेट्रोलियम पदार्थो को यदि जीएसटी (28% दर) के दायरे में लाया जाता है तो केन्द्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल पर 106.3% एवं डीजल पर 88. 32% कर/सेस कर नुकसान होगा। लगभग 4.27 लाख करोड़ के राजस्व की क्षति होगी जिसमें पेट्रोल पर 1.9 लाख करोड़ तथा डीजल पर 3.19 लाख करोड़ का नुकसान होगा।

क्या सरकारें इतने बड़े राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति किसी अन्य माध्यम से कर पायेंगी? गरीबों के कल्याण और विकास योजनाओं के लिए धन कहाँ से आएगा? धन के अभाव में क्या सड़क, कृषि एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण बाधित नहीं हो जाएंगे?

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को पेट्रोल से 51.45 रु / लीटर एवं डीजल से 45.26 रु / लीटर राजस्व प्राप्त होता है। यदि इन्हें जीएसटी (28% कर) में शामिल कर दिया जाय तो अधिकतम 10.72 रु पेट्रोल से एवं 10.90 रु डीजल से मात्र कर के रूप में प्राप्त होगा। यानि जीएसटी में शामिल करने पर 40.69 रू / लीटर पेट्रोल से और 34.36 रु / लीटर डीजल से सरकारों को नुकसान होगा।

पेट्रोल की अनुमानित वार्षिक खपत 2639 करोड़ लीटर तथा डीजल की 9306 करोड़ लीटर से क्षति का आंकलन किया जाय तो केन्द्र सरकार को 3. 17 लाख करोड़ तथा राज्यों को 1.10 लाख करोड़ का नुकसान होगा यानि कुल 4.27 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान केन्द्र और राज्य सरकारों को होगा।

6 मई 2021 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर 'सड़क एवं आधारभूत संरचना सेस' जो पहले 10 रू०/ लीटर था उसे बढ़ा कर 18 रु / कर दिया। केन्द्र सरकार को सड़क सेस से 2020-21 में 2.24 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ जहाँ 2019-20 में जब मात्र 67,371.33 करोड़ रु प्राप्त हुए थे। इस रोड सेस से 2020-21 में 59,622 करोड़ सड़क मंत्रालय द्वारा सड़क निर्माण पर व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 में इस सेस से 50 हजार करोड़ रु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर नल जल'' योजना एवं 79,147 करोड़ सड़क निर्माण एवं शेष राशि रेलवे, जहाजरानी, उड्डयन, उर्जा एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोड सेस की एक बड़ी राशि राज्यों को भी सड़क निर्माण हेतु स्थानांतरित की जाती है।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने 2 फरवरी 2021 से 2.50 रु / लीटर पेट्रोल एवं 4 रु / लीटर डीजल पर ''कृषि आधारभूत संरचना सेस'' लगाने का निर्णय लिया। परन्तु इसका प्रभाव उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने कृषि सेस राशि के समतुल्य एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। इस कृषि सेस से 30 हजार करोड़ राजस्व का अनुमान है जो कृषि मंडियों और कृषि की आधारभूत संरचनाओं पर व्यय होगा।

साथ ही केंन्द्र सरकार 12.40 रूपया बेसिक एक्साईज एवं स्पेशल एक्साईज के रूप में पेट्रोल से तथा 9.80 रूपया डीजल से संग्रह करती है। इस एक्साईज ड्यूटी कर 41 प्रतिशत राज्यों को डिवोल्यूशन के रूप में वितरित कर दिया जाता है।

केन्द्र सरकार पेट्रोल (32.90 रू) और डीजल (31.80 रू) पर / लीटर जो कर/सेस लगाती है वो फिक्स है यानि जब तेल की कीमत 25 डालर/बैरल फी तब भी उतना ही कर/सेस लगता है जितना 75 डालर/बैरल होने

पर लगता है। परन्तु सरकारें वैट लगाती हैं जो एड बेलोरम है यानि तेल की कीमत जब बढ़ती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ जाता है और जब कीमत घटती हैं तो राजस्व घट जाता है।

पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट राज्यों की आय का प्रमुख स्त्रोत है। राज्यों को औसतन 18.55 रू / लीटर पेट्रोल एवं 13.46 रू / लीटर डीजल से राजस्व प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश (41%) महाराष्ट्र (39%) राजस्थान (38%) पेट्रोल पर सर्वाधिक प्रभावी वैट कर वाले राज्यों में हैं और गुजरात, हरियाणा, झारखंड 26% वैट के साथ कम कर वाले राज्यों में है।

महाराष्ट्र को पेट्रोलियम पदार्थों से (25,430 करोड़) उत्तर प्रदेश (21,955 करोड़), राजस्थान (15,118 करोड़) गुजरात (15140.76 करोड़) आन्ध्रा प्रदेश । (11,013.53 करोड़) प्राप्त होता है यहां तक कि हरियाणा (7923.14 करोड़) केरल (6923 करोड़) उड़ीसा (6224.15 करोड़) जैसे कम आबादी वाले राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम पर कर से है। अब यदि इस राजस्व में भारी कटौती होती है तो राज्यों में गरीबों के कल्याण की तमाम योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी।

कोरोना काल (2020-21) में लाकडाउन तथा महामारी के कारण केन्द्र और राज्यों में 4.65 लाख करोड़ कम राजस्व संग्रह हुआ। रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों पर रोड सेस का परिणाम था कि जहाँ राजमार्ग एवं सड़क मंत्रालय द्वारा 2019-20 में 78,249 करोड़ का व्यय हुआ था वहीं कोरोना अवधि (2020-21) में 1.18 लाख करोड़ व्यय हुआ जो 23% ज्यादा है।

रोजगार पैदा करने हेतु निर्माण कार्यों यानि पूंजीगत व्यय को बढ़ाना आवश्यक था। अतः 2020-21 में निर्माण कार्यों (पूँजीगत व्यय) पर रिकार्ड 4. 24 लाख करोड़ व्यय हुआ जो 2019-20 की तुलना में 88 हजार करोड़ या 26% ज्यादा था। 2021-22 में कोविड की दूसरी आंधी के बावजूद अप्रैल से जुलाई 2021 तक 1.28 लाख करोड़ पूँजीगत व्यय हो चुका है और पूरे वर्ष में रिकार्ड 5.54 लाख करोड़ व्यय का लक्ष्य हैं जो पिछले वर्ष से 30% ज्यादा है।

केन्द्र और राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर कर/सेस कम करना या जीएसटी में लाना चाहती हैं परन्तु सरकारों का धर्म संकट है कि यदि कर में कटौती करते हैं तो गरीब कल्याण और विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं और दूसरी ओर मूल्य वृद्धि से जनता के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है।

यूँ पूरी दुनिया में पेट्रोलियम, शराब और तम्बाकू सिन गुड्स (Sin Goods) माने जाते हैं और इनके उपयोग तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर इन पर सर्वाधिक कर लगाया जाता है। यूरोपीय संघ के देशों में पेट्रोलियम पदार्थों पर 45 से 60% कर है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 25 डालर / बैरल से 82 डालर / बैरल पहुँच गई है। भविष्य में कच्चे तेल की कीमत में कमी आती है तथा कोरपोरेट कर, आयकर, जीएसटी आदि करों से राजस्व पटरी पर लौट कर आता है तो निश्चित तौर पर सरकारों को कर दरों में कम करने या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने पर विचार करना चाहिए, परन्तु आज के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया हैं वह सर्वथा उचित है।

◈◈◈

पेट्रोलियम पदार्थों को यदि जीएसटी (28% दर) के दायरे में लाया जाता है तो केन्द्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल पर 106.3% एवं डीजल पर 88.32% कर/सेस का नुकसान होगा। लगभग 4.27 लाख करोड़ के राजस्व की क्षति होगी जिसमें पेट्रोल पर 1.9 लाख करोड़ तथा डीजल पर 3.19 लाख करोड़ का नुकसान होगा। क्या सरकारें इतने बड़े राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति किसी अन्य माध्यम से कर पायेंगी? गरीबों के कल्याण और विकास योजनाओं के लिए धन कहाँ से आएगा?

सुशील कुमार मोदी

"Reservation should continue as long as there is inequality." आरक्षण तब तक लागू रहेगा, जब तक समाज के अंदर विषमता है। .....सामाजिक न्याय और **social harmony,** यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए **committment** है। ..... **It is an article of faith. "History of India is not different from the history of dalits. Without the history of dalits, India's history is incomplete".**

दत्तात्रेय होसबले

सरकार्यवाह

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(Times of India से साभार)

भाषा अनेक... भाव एक
राज्य अनेक... राष्ट्र एक
पंथ अनेक... लक्ष्य एक
बोली अनेक... स्वर एक
समाज अनेक... भारत एक
रिवाज अनेक... संस्कार एक
योजना अनेक... ध्येय एक
कार्य अनेक... संकल्प एक
राह अनेक... मंजिल एक
पहनावा अनेक... प्रतिभा एक
चेहरे अनेक... मुस्कान एक
रंग अनेक... तिरंगा एक

-नरेंद्र मोदी